उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1964 ई0)

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI ADHINIYAM, 1964

(U.P. Act No. XXV of 1964)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1964 ई०]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1970

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 (जैसा कि उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित)

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 1973

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 06, 1977

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, 1978

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1979

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 1984

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1985

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1987

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1991

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1994

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 04, 1999

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 01, 2000

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2001

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, 2002

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13, 2004

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 2005

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 02, 2006

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 34, 2006

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 40, 2007

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 2013

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 04, 2015

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11, 2015

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 03, 2016

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2018

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7, 2020

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2020

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07, 2023

द्वारा संशोधित

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 10 दिसम्बर, 1963 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखे ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 अगस्त, 1964 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8 सितम्बर, 1964 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 28 अक्टूबर, 1964 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 10 नवम्बर, 1964 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश में कृषि–उत्पादन के क्रय–विक्रय के विनियमन और उनके लिए मण्डियों की स्थापना तथा उनके अधीक्षण और नियन्त्रण की व्यवस्था करने का

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : ––

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम", 1964 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषायें

2–विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर, इस अधिनियम में ––

[1][(क) "कृषि–उत्पादन" का तात्पर्य कृषि उद्यान–फर्म, द्राक्षा–कृषि, मधु–मक्खी–पालन, कोश–कोट–पालन, मत्स्य संवर्धन, पशु–पालन या वन उत्पाद, की ऐसी मदों से है जो अनुसूची में निर्दिष्ट हों, और इसके अन्तर्गत दो या अधिक ऐसी मदों का सम्मिश्रण भी है, और इसमें संशोधित रूप में ऐसी कोई मद भी सम्मिलित है, और इसके अन्तर्गत गुड़, राब, शक्कर, खाण्डसारी तथा जगरी भी है ;]

[[2] (क–1) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 26–क के अधीन संघटित राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् से है ;][3]

(ख) "दलाल" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में कमीशन या पारिश्रमिक पर, चाहे वह नकदी में हो या जिन्स में, अपने प्रतिनियोक्ता (Principal) की ओर से कृषि–उत्पादन के क्रय या विक्रय की संविदाओं की बात या व्यवस्था करता हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे प्रतिनियोक्ता का सेवक नहीं है भले ही वह ऐसी संविदाओं की बात अथवा व्यवस्था करता हो ;

(ग) "उप–विधि" का तात्पर्य धारा 39 के उपबन्धों के अनुसार बनायी गयी उप–विधियों से है ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित एवं सदैव से प्रतिस्थापित समझे जायेंगे ।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 की अनुसूची की मद संख्या 2 (ख) द्वारा पुनर्संख्यांकित ।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 की धारा 2(1) द्वारा अन्तः स्थापित।

(घ) "केन्द्रीय गोदाम निगम" का तात्पर्य वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ऐक्ट, 1962 के अधीन स्थापित या किया गया समझे गये सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से है ; **ऐक्ट संख्या 58, 1962**

[[1](घ–1) किसी मण्डी क्षेत्र की समिति के सम्बन्ध में, कलेक्टर का तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है, जहाँ उस मण्डी क्षेत्र का प्रधान मण्डी स्थल है, और इसके अन्तर्गत ऐसा अन्य अधिकारी भी है, जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये।]

[2][(घ–2) मण्डी स्थल के सम्बन्ध में "शीतगृह" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उप स्थल के रूप में घोषित शीतगृह से है ।]

(ङ) "आढ़तिया" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में कृषि–उत्पादन के स्वामी अथवा विक्रेता या क्रेता की ओर से आढ़त या कमीशन पर, कृषि–उत्पादन का क्रय का विक्रय करता हो या करने का प्रस्ताव करता हो ;

(च) "समिति" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संघटित समिति से है ;

(छ) "सहकारी क्रय–विक्रय समिति" का तात्पर्य उत्पादकों को ऐसी सहकारी समिति से है जो [3][उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन निबन्धित हो या निर्बन्धित समझी जाय] और जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि–उत्पादन के विक्रय या क्रय की बढ़ाना हो ; **ऐक्ट संख्या 2, 1912**

(ज) "निदेशक" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मण्डी निदेशक के रूप में नियुक्त अधिकारी से है, और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य अधिकारी है जो इस अधिनियम के अधीन निदेशक के सभी या किसी कृत्य का पालन करने के लिये निदेशक द्वारा प्राधिकृत हो ;

[4][(ज–1) "निदेशक, कृषि विपणन" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निदेशक कृषि विपणन के रूप में नियुक्त अधिकारी से है जो इस अधिनियम के अधीन निदेशक, कृषि विपणन की शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करेगा ;]

[4][(ज–1क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में "सीधा विपणन" का तात्पर्य, प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, निजी मण्डी स्थल एवं मण्डी उपः स्थल के बाहर प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों, क्रेताओं आदि के द्वारा कृषकों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सीधा थोक क्रय से है ;]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 की अनुसूची की मद संख्या 2 (ख) द्वारा पुनर्संख्यांकित एवं राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 की धारा 2 (2) द्वारा अन्तः स्थापित किया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (क) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1977 की धारा 2 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

[1][(ज–1ख) "कृषक उत्पादक संगठन" (एफ0 पी0 ओ0) का तात्पर्य ऐसे कृषक–संगम से है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी भी नाम/प्रारूप में अभिहित किया जाता हो/विद्यमान हो एवं रजिस्ट्रीकृत हो । जो कृषकों को गतिशील करने और उनके उत्पादन तथा विपणन शक्ति की सामूहिक उत्तोलन क्षमता का सृजन करता है।]

[2][(ज–2) "निर्यात" का तात्पर्य किसी लाइसेंसधारी द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का भारत से बाहर निर्यात करने से है;]

[3][(ज–3) "ई–व्यापार" का तात्पर्य उस व्यापार से है जिसमें बिल बनाना, बुकिंग करना, करार करना वार्ता करना, सूचना का आदान–प्रदान करना, अभिलेख रखना और अन्य जुड़ी गतिविधियाँ, कम्प्यूटर नेटवर्क/ इण्टरनेट पर इलेक्ट्रानिकली की जाती है ;]

(झ) "लाइसेन्सधारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स दिया जाय ;

(ञ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित किसी अधिनियमिति के अधीन संघटित या स्थापित [4][नगर निगम], [4][नगर पालिका परिषद्, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, अन्तरिम जिला परिषद्, जिला परिषद् या] [4][ग्राम पंचायत] से है;

(ट) "मण्डी–क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो धारा 6 के अधीन इस रूप में विज्ञापित किया गया हो या जो धारा 8 के अधीन यथा–परिवर्तित हो ;

[5][(ट–1) "मुख्य मण्डी समिति" का तात्पर्य उस मण्डी समिति से है, जो एकीकृत लाइसेन्स निर्गत करने के लिए प्राधिकृत हो ;]

[6][(ट–2) मण्डी उपस्थल का तात्पर्य भाण्डागार/साइलों/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थान से है, जो इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उपस्थल के रूप में घोषित किया गया हो।]

(ठ) "सदस्य" का तात्पर्य समिति के सदस्य से है ;

[7][(ठ–1) ''नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।]

(ड) "पल्लेदार" का तात्पर्य ऐसे श्रमिक से है जो किसी कृषि–उत्पादन का बड़ा बनाने, कृषि–उत्पादन को लादने, उतारने, भरने या खाली करने अथवा ढोने के कार्य में लगाया गया हो ;

[8][(ड–1) "व्यक्ति" के अन्तर्गत व्यक्ति, कोई सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित परिवार, निगमित अथवा अनिगमित कोई कम्पनी या फर्म या व्यक्ति–संगठन या निकाय सम्मिलित है ।]

(ढ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 2005 की धारा 2 (क) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2016 की धारा 2 (क) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2001 की धारा 2(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2016 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2001 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (घ) द्वारा बढ़ाया गया ।

(ण) "प्रधान मण्डी–स्थल" का तात्पर्य मण्डी–क्षेत्र के किसी ऐसे भाग से है जो धारा 7 के अधीन इस रूप में घोषित हो ;

[1][(ण–1) "प्रसंस्करण" का तात्पर्य चूर्णन, पेराई, छिलका निकालने, भूसी निकालने, अर्धक्वथन करने, पालिश करने, ओटाई संपीड़न, संरक्षण से सम्बन्धित किसी एक या अधिक शोधनों की श्रृंखला या किसी अन्य हस्तचालित, यांत्रिक, रासायनिक या भौतिक शोधन से है जिससे कच्चे कृषि उत्पाद या उसके उत्पादन का शोधन किया जाता है परन्तु उसका तात्पर्य मात्र सफाई करना धुलाई करना, श्रेणीकरण करना, एवं पैकिंग करना और तत्समान अन्य क्रियाकलाप से नहीं है ।]

[2][(ण–2) "निजी मण्डी स्थल" का तात्पर्य मण्डी क्षेत्र मे प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल और मण्डी उप–स्थल से भिन्न ऐसे स्थान से है, जहाँ इस अधिनियम के अधीन उक्त प्रयोजन के लिए कृषि उत्पाद के विपणन और लाइसेंस धारण करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अवसंरचना विकसित की गयी हो और उसका प्रबन्ध किया गया हो ;

(ण–3) कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में "प्रसंस्करणकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो स्वयं की ओर से या प्रभार के संदाय पर किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण का दायित्व ग्रहण करता हो ।]

(त) "उत्पादक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कृषि–उत्पादन की या तो स्वयं या पारिश्रमिक पर रखे गये श्रमिकों के माध्यम से उत्पादित करे, पाले–पोषे या पकड़े किन्तु ऐसे उत्पादक से नहीं है जो व्यापारी, दलाल या आढ़तिया के रूप में भी कार्य करता हो या जो साधारणतया कृषि–उत्पादन का अन्य प्रकार से संग्रह करने का कारोबार करता हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि यह प्रश्न उठे कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति उत्पादक है अथवा नहीं, तो निदेशक का निर्णय, ऐसी रीति से जांच करने के पश्चात् जो नियत की जाय, अन्तिम होगा ;

(थ) "क्रय" के अन्तर्गत वस्तु–विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा पेशगी दी गयी धनराशि को प्रतिभूति के रूप में माल की प्राप्ति भी है ;

[3][[4](थ–1) "विनिमय" का तात्पर्य धारा 26–भ के उपबन्धों के अनुसार परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों से है ;]

[5][(थ–2) किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, "फुटकर विक्रय" का तात्पर्य उस उत्पादन के ऐसे परिमाण के विक्रय से है जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अनधिक हो,]

(द) "विक्रय" के अन्तर्गत वस्तु–विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा अग्रिम धनराशि की प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप भी है ;

(ध) "सचिव" का तात्पर्य धारा 23 के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 2005 की धारा 2 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (ङ) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 की अनुसूची की मद संख्या 2 (ख) द्वारा पुनर्सख्यांकित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 की धारा 2 (iv) द्वारा अन्तःस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1979 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाया गया ।

[1][(ध–1) "साइलों" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उपस्थल के रूप में घोषित साइलों से है ;

(ध–2) "विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–ग के अधीन यथाअधिसूचित किसी मण्डी स्थल से है ।]

(न) "निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन या धारा 8 के अधीन यथा–परिष्कृत विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन से है ;

[2][(न–1) "राज्य" का तात्पर्य भारत का संविधान की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट किसी राज्य से है ।]

(प) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(फ) "राज्य गोदाम निगम" का तात्पर्य वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन ऐक्ट, 1962 के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे गये उत्तर प्रदेश के स्टेंट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से है ; **ऐक्ट संख्या 58, 1962**

(ब) "उप मण्डी–स्थल" का तात्पर्य मण्डी–क्षेत्र के किसी ऐसे भाग से है जो धारा 7 के अधीन इस रूप में घोषित हो ;

[3][(भ) "व्यापारिक परिव्यय" का तात्पर्य किसी भी नाम से कहे जाने वाले किसी ऐसे परिव्यय से है जो, व्यापार की किसी रूढ़ि या प्रथा के अधीन या ऐसी रूढ़ि या प्रथा के नाम पर अन्यथा, किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में किसी व्यापारी द्वारा वसूल किया जाता हो या वसूल किया जा सकता हो या उसकी देय हो ।

स्पष्टीकरण—नमूने से क्रय किये जाने की दशा में नमूने से अन्तर होने के कारण, या किसी ज्ञात मानक से क्रय किये जाने की दशा में मानक से अन्तर होने के कारण, अथवा वास्तविक और मानक माप या तौल में भिन्नता के कारण, की गयी कटौती से भिन्न प्रत्येक कटौती व्यापारिक परिव्यय समझी जायगी ।]

(म) "व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में स्वयं अपनी ओर से अथवा एक या अधिक प्रतिनियोक्ताओं के यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में, कृषि उत्पादन का क्रय या विक्रय करता हो, तथा उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो कृषि–उत्पादन के प्रक्रिया कार्य में लगा हो ;

[4][(म–1) "एकीकृत लाइसेंन्स" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9–क के अधीन स्वीकृत लाइसेन्स से है ।]

[5][(कक) "गांव" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 में है ।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (च) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (छ) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1978 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 2016 की धारा 2(ग) द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 2 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(कक–1) मण्डी स्थल के सम्बन्ध में "भाण्डागार" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उप–स्थल के रूप मे घोषित भाण्डागार से है ।]

(खख) "तोलक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में कृषि–उत्पादन के क्रय या विक्रय के सौंदे के सम्बन्ध में तौलने का काम करता हो ;

(गग) "तौलने या मापने का यंत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 मे यथापरिभाषित तौलने का यंत्र या मापक यंत्र से है ; **उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1959**

(घघ) "बाट या माप" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित व्यापारिक बाट या माप अथवा मानक बाट या माप से है ।

[2][(ङङ) किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में, "थोक सौदा" का तात्पर्य उस उत्पादन के ऐसे परिमाण के क्रय और विक्रय से है जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में विनिर्दिष्ट फुटकर विक्रय की सीमा से अधिक हो ।]

[3][(छछ) ''उपभोक्ता प्रभारी'' का तात्पर्य वस्तु अथवा सेवा के प्रतिफल में संदत्त धनराशि से है।]

[4][**2–क–** कृषक/उत्पादक अपना उत्पाद अपनी इच्छानुसार इस राज्य में या उसके बाहर कहीं भी बेच सकता है : **कृषक/उत्पादक को विपणन स्वतंत्रता**

प्रतिबन्ध यह है कि थोक संव्यवहार के लिए कृषक–विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क संग्रहीत नही किया जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी शुल्क उदृग्रहीत या संग्रहीत नही किया जायगा, जहाँ ऐसा विक्रय उपभोक्ता को कृषक या उत्पादक द्वारा सीधे उसके घरेलू उपभोग के लिए किया जाय ।

3– [5][X X X X]

4–(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे भले ही किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा या अनुबन्ध में कोई असंगत बात दी हो। **अन्य विधि के विरूद्ध होना**

(2) इसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट, 1955 की धारा 3 के उपबन्ध और तदधीन दी गयी आज्ञाएं प्रभावी होंगी, भले ही इस अधिनियम में या तदधीन बनाये गये किसी नियम, उपविधि या दी गयी आज्ञा में कोई असंगत बात दी हो । **ऐक्ट संख्या 10, 1953**

[6][**4–क–** राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उत्पादन की किसी मद को बढ़ा सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है या उसे निकाल सकती है, और तदुपरान्त अनुसूची तदनुरूप संशोधित हो जायगी ।] **अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार**

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 2 (ज) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1979 की धारा 2 (दो) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2020 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 3 द्वारा लोप की गयी ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 3 द्वारा बढ़ायी गयी ।

अध्याय – 2

मण्डी–क्षेत्र तथा मण्डी–स्थल

किसी क्षेत्र में कृषि–उत्पादन के क्रय–विक्रय को विनियमित और नियंत्रित करने के अभिप्राय की घोषणा

5–(1) यदि राज्य सरकार की वह राय हो कि लोक–हित में यह आवश्यक या इष्टकर है कि किसी ऐसे क्षेत्र में किसी कृषि उत्पादन के क्रय–विक्रय को विनियमित किया जाय, [1][***] और इस प्रयोजन के लिये उस क्षेत्र को मण्डी–क्षेत्र घोषित किया जाय, तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जो नियत की जाय ऐसा करने के अपने अभिप्राय की घोषणा कर सकती है और प्रस्तावित घोषणा के विरूद्ध आपत्तियां आमंत्रित कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी अपत्ति, ऐसी अवधि के भीतर भेजी जा सकती है, जो नियत की जाय । वह निदेशक को सम्बोधित की जायेगी, जो उसे, उस पर अपनी समीक्षा के साथ, राज्य सरकार को भेजेगा ।

मण्डी–क्षेत्र की घोषणा

6–धारा 5 में अभिदिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, राज्य सरकार उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुई आपत्तियों पर विचार करेगी और तदुपरान्त, गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, वह घोषणा कर सकती है कि धारा 5 के अधीन विज्ञप्ति में उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग ऐसे कृषि–उत्पादन के सम्बन्ध में और ऐसे दिनांक से, जो घोषणा में निर्दिष्ट किया जाय, मण्डी–क्षेत्र होगा ।

प्रधान मण्डी स्थल और उप मण्डी स्थल

[2][**7**–धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा मण्डी क्षेत्र के ऐसे भाग को जो निर्दिष्ट किया जाय प्रधान मण्डी–स्थल और ऐसे अन्य भागों को जो निर्दिष्ट किये जायें, उप–मण्डी–स्थल घोषित कर सकती है ;] :

[3][प्रतिबन्ध यह है कि सम्पूर्ण प्रधान मण्डी–स्थल केवल एक ही जिले की सीमाओं के भीतर स्थित होगा।]

[4][(2) राज्य सरकार, जहां लोक–हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, अधिसूचना द्वारा ––

(क) प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल के क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकती है या उससे कोई क्षेत्र निकाल सकती है या वर्तमान प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल को समाप्त कर सकती है और नये प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थल घोषित कर सकती है,

[5][(ख) घोषित कर सकती है कि किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्दिष्ट कृषि उत्पाद में से सभी या किसी का थोक संव्यवहार उसके प्रधान मण्डी स्थल या उप मण्डी स्थलों के भीतर केवल किसी विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर किया जायगा :

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 3 द्वारा निकाला गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1977 की धारा 4 द्वारा धारा 7 पुनःसंख्याकित तथा उपधारा 2 बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 4 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1979 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उपबन्ध का कोई प्रभाव, निम्नलिखित पर नहीं होगा—

1—मण्डी उप स्थल,

2—सीधा विपणन

3—निजी मण्डी स्थल,

4—एकीकृत लाइसेन्स के माध्यम से व्यापार;

5—न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन क्रय केन्द्र;

6—निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा अनुमोदित डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से व्यापार :

प्रतिबन्ध यह है कि मण्डी समिति अथवा निदेशक, कृषि विपणन द्वारा जारी लाइसेन्स, घोषित एवं निर्मित प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल से विनिर्दिष्ट दूरी के अन्तर्गत नहीं होंगे, जैसा कि निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा अवधारित किया जाय।]

भाण्डागार/साइलों/शीतगृह या ऐसी अन्य सरंचना या स्थानों को मण्डी उप–स्थल के रूप में घोषित किया जाना

[2] [7–क–(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे भाण्डागार/साइलों/शीतगृह या यथाविहित अवसंरचना एवं सुविधाओं सहित संरचना या स्थान को मण्डी उप–स्थल के रूप में कार्य करने हेतु घोषित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी फुटकर व्यापारिक स्थान को मण्डी उप–स्थल घोषित नहीं किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण——इस उपधारा में उल्लिखित पद "स्थान" के अन्तर्गत भाण्डागार/साइलों/शीतगृह/पैकहाउस/सफाईकरण, श्रेणीकरण और प्रसंस्करण इकाई आदि सहित कोई संरचना, घेरा, खुला स्थान, मोहल्ला, पथ सम्मिलित है ।

(2) यथास्थिति ऐसे किसी भाण्डागार/साइलों/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या "स्थान" का स्वामी, जो ऐसे स्थानों को उपधारा (1) के अधीन मण्डी उप–स्थल के रूप में घोषित किये जाने का इच्छुक हो, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, ऐसी रीति से और ऐसी अवधि किन्तु जो तीन वर्ष से कम न हो, के लिए ऐसे शुल्क के साथ, जैसाकि विहित किया जाय, के रूप में आवेदन करेगा ।

[3] [(3) घोषित मण्डी उप स्थल में ऐसे भाण्डागार/साइलों/शीतगृह या अन्य संरचना या स्थान पर संव्यवहृत करने वाले व्यक्ति को, संव्यवहृत अधिसूचित कृषि उत्पाद के मूल्य पर मण्डी समिति को लागू मण्डी शुल्क के 75 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। मण्डी उप स्थल का स्वामी/लाइसेंसधारी, विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर प्रयोक्ता प्रभार के रूप में ऐसे मण्डी शुल्क के पच्चीस प्रतिशत तक की धनराशि उद्ग्रहीत और संग्रहीत कर सकता है जिसे उक्त स्थल के अनुरक्षण तथा विकास के लिये व्यय किया जा सकता है।]

प्रतिबन्ध यह है कि कृषक–विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क संग्रहीत नही किया जायेगा ।]

सीधा विपणन (कृषकों से मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, निजी मण्डी स्थल से बाहर एक मुश्त सीधा थोक क्रय)

[4][7–ख– (1) ऐसी युक्तियुक्त शर्तो और ऐसे शुल्क, जैसा कि विहित किये जायं, के अध्यधीन निदेशक, कृषि विपणन, अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन के लिए इस अधिनियम एवं तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसार यथाविहित अवसंरचना सहित उत्पादन क्षेत्र के निकट संग्रह/एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित करने हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्थायी संग्रह/एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित किये बिना, थोक क्रय स्थल घोषित करते हुए, प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थलों, मण्डी उपस्थलों, निजी मण्डी स्थलों के बाहर यथाविहित रूप में सीधा थोक क्रय किया जा सकता है।

(2) सीधा विपणन लाइसेंसधारी को दैनिक व्यापारिक संव्यवहारों से सम्बन्धित

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2020 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 5 द्वारा बढ़ायी गयी ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2020 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 5 द्वारा बढ़ायी गयी ।

अभिलेख और समस्त लेखाओं को अनुरक्षित करना होगा और लाइसेंस प्राधिकारी को यथाविहित रूप में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा ।

(3) लाइसेंस प्राधिकारी, सीधा विपणन लाइसेंसधारी से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सूचना माँग सकता है ओर ऐसे थोक क्रयों एवं उससे आनुषंगिक क्रिया–कलापों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निरीक्षण कर सकता है और निदेश जारी कर सकता है ।

(4) सीधा विपणन लाइसेंसधारी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विक्रय के संव्यवहार पर परिषद् द्वारा अनुरक्षित उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि को मण्डी शुल्क का भुगतान करेगा ।]

विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल की स्थापना और अधिसूचना

[1]**[7–ग–** (1) जहाँ राज्य सरकार, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे वहाँ वह किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में सभी या किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के निमित्त अधिसूचना द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) के विद्यमान मण्डी स्थल को विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल घोषित कर सकती है या किसी नये मण्डी स्थल को विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल अधिसूचित कर सकती है ।

(2) इस अधिनियम में मण्डी समिति के लिए और तत्सम्बन्ध में किये गये उपबन्ध, विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल के लिए स्थापित मण्डी समिति पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।]

निजी मण्डी स्थल की स्थापना

[2]**[7–घ–** (1) ऐसी युक्तियुक्त शर्तो और ऐसे शुल्क जैसा कि विहित किये जाये, के अध्यधीन निदेशक कृषि विपणन यथाविहित रूप में कृषि उत्पाद के व्यपार के लिए निजी मण्डी स्थल स्थापित करने हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेन्स प्रदान कर सकता है ।

(2) निजी मण्डी स्थल लाइसेन्सधारी या उसकी प्रबन्ध समिति, निजी मण्डी स्थल में संव्यवहृत अधिसूचित कृषि उत्पादों पर मूल्यानुसार दर से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, उपयोक्ता प्रभार संग्रहीत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई उपभोक्ता प्रभार, कृषक–विक्रेता से संग्रहीत नही किया जायेगा ।

(3) निजी मण्डी स्थल लाइसेंन्सधारी, लाइसेन्स शुल्क और एक चौथाई संग्रह उपयोक्ता प्रभार का अभिदान, निदेशक, कृष विपणन द्वारा अनुरक्षित और प्रचालित किसी पृथक निधि में करेगा । निदेशक, कृषि विपणन निधि का उपयोग, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और ऐसे अन्य क्रिया–कलापों, जो राज्य में दक्ष विपणन प्रणाली सृजित करने मे सहायक होंगे, में करेगा ।]

[3] **[धारा *7ङ* उत्पादक–**उपभोक्ता मण्डी स्थल की स्थापना (उत्पादक द्वारा उपभोक्ता को फुटकर सीमा के अन्तर्गत कृषि उत्पाद का विक्रय किया जाना)–

(1) विहित शुल्क, शर्तों एवं निर्बन्धनों के अध्यधीन शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे सम्बन्धित व्यक्ति को लाइसेंस जारी कर सकता है, जो उत्पादक–उपभोक्ता मण्डियाँ स्थापित करें, जिनमें विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का फुटकर व्यापार हो सके।

(2) लाइसेंसधारी यथाविहित रूप में उत्पादक एवं उपभोक्ता के पहुँच के भीतर उत्पादक–उपभोक्ता मण्डी में अवसंरचना स्थापित एवं विकसित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता फुटकर सीमा के अन्तर्गत क्रय करेगा।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 5 द्वारा बढ़ायी गयी ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 5 द्वारा बढ़ायी गयी ।
3. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2020 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

मण्डी–क्षेत्र के परिवर्तन और कृषि–उत्पादन की सूची का परिष्कार

8–(1) राज्य सरकार यदि वह लोक–हित में ऐसा करना इष्टकर या आवश्यक समझे, तो गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जो नियत की जाय, तथा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से ––

(क) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन की सूची में कोई कृषि–उत्पादन सम्मिलित कर सकती है, अथवा उसमें से कोई कृषि–उत्पादन निकाल सकती है ;

(ख) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति मे ंनिर्दिष्ट मण्डी–क्षेत्र मे कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकती है, अथवा उसमें से कोई क्षेत्र निकाल सकती है ;

(ग) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी मण्डी–क्षेत्र को एक से अधिक पृथक मण्डी–क्षेत्रों मे विभाजित कर सकती है ;

(घ) धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दो या अधिक मण्डी–क्षेत्रों को एक मण्डी–क्षेत्र मे सम्मिलित कर सकती है ;

(ङ) यह घोषणा कर सकती है कि धारा 6 के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट मण्डी–क्षेत्र ऐसा क्षेत्र न रहेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही किये जाने के पूर्व राज्य सरकार नियत रीति से, प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित करेगी और उस पर विचार करेगी ।

(2) जब मण्डी समिति के कार्यकाल में मण्डी–क्षेत्रों की सीमाओं में, जिसके लिये वह स्थापित की गयी हो, उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) के अधीन परिवर्तन किया जाय तो, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे :––

(क) मण्डी समिति विघटित हो जायगी और उसके सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे ;

[1][(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार परिष्कृत या नवनिर्मित मण्डी क्षेत्र के लिये एक नई मण्डी समिति संगठित की जायेगी ;]

[2][(ग) किसी विघटित मण्डी समिति के मण्डी–क्षेत्र के किसी भाग के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों, संविदाओं, अनुबन्धों अथवा किसी अन्य विषय या बात से सम्बन्धित विघटित मण्डी समिति की समस्त सम्पत्ति तथा आस्तियां तथा समस्त अधिकार, दायित्व और बाध्यतायें उस भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली नई मण्डी समिति में निहित और उस अन्तरित हो जायेंगे ।]

(3) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ड़) के अधीन कोई मण्डी–स्थल यदि कोई हों, ऐसे मण्डी–स्थल न रह जायेंगे ;

(क) मण्डी समिति विघटित हो जायगी और उसके सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) उसमें स्थापित प्रधान मण्डी–स्थल और उप मण्डी–स्थल यदि कोई हों, ऐसे मण्डी–स्थल न रह जायेंगे ;

(ग) मण्डी समिति निधि की व्यय न की गयी शेष धनराशि और मण्डी समिति की अन्य आस्तियां तथा दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार का दायित्व इस प्रकार निहित सम्पत्ति के मूल्य से अधिक न होगा ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

मण्डी–क्षेत्र की घोषणा का प्रभाव

9–(1) किसी क्षेत्र के मण्डी–क्षेत्र घोषित किये जाने के दिनांक से, कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति संबद्ध समिति द्वारा दिये गये लाइसेन्स के बिना या उसकी शर्तों के अनुसरण से अन्यथा, मण्डी–क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के विक्रय, क्रय या संग्रह करने (Storage) या तौलने या उस पर प्रक्रिया करने (Processing) के लिये किसी स्थान की न स्थापना करेगा, न उसे बनाये रखेगा और न उसकी स्थापना करने या उसे बनाये रखने की अनुमति देगा, भले ही किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा या अनुबन्ध में कोई विपरीत बात हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध स्वयं उत्पादक पर उसके द्वारा उत्पादित, पाले–पोषे, या प्रक्रिया किये गये कृषि–उत्पादन के सम्बन्ध में, या ऐसे व्यक्ति पर जो अपने घरेलू उपभोग के लिये किसी कृषि–उत्पादन का क्रय अथवा संग्रह करता हो, लागू न होंगे :

[1][प्रतिबन्ध यह है कि कृषकों से सीधा क्रय किये जाने के निमित्त उत्पादन क्षेत्र के समीप संग्रह/एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित किये जाने एवं निजी मण्डी स्थल के मामले में, निदेशक, कृषि विपणन उक्त मण्डी क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्राधिकारी होगा ।]

(2) कोई व्यक्ति सम्बद्ध समिति से तदर्थ लाइसेंन्स प्राप्त किये बिना तथा लाइसेन्सों को शर्तों के विरूद्ध किसी प्रधान मण्डी–स्थल या किसी उप मण्डी–स्थल में किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में व्यापारी, दलाल, आढ़तियां, गोदाम–परिचालक, तोलक, पल्लेदार या किसी ऐसे अन्य रूप में, जो नियत किया जाय, न तो कारोबार करेगा और न काम करेगा ।

[2][(3) उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध किसी ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में जिसे किसी बैंक के पक्ष में ऐसे बैंक द्वारा दी गयी धनराशि के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी या दृष्टिबन्धक रखा जाय, लागू न होंगे ।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनो के लिए शब्द "बैंक" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 में उसके लिए दिया गया है ।]

[3][कतिपय प्रयोजनों के लिए एकीकृत लाइसेंस]

[3][**9–क**– (1) कोई मण्डी समिति, जो मुख्य मण्डी समिति होगी, कृषकों एवं व्यापारियों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए उपविधियों में यथाविहित रीति से, सम्पूर्ण राज्य में पूर्व संसूचित स्थलों पर, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एकीकृत लाइसेंस स्वीकृत कर सकती है: ––

(क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण ;

(ख) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का व्यापार ;

(ग) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन करके अन्य रीति से ग्रेडिंग, पैकिंग और संव्यवहरण ।**]**

[4](2) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित मण्डी शुल्क और विकास उपकर उस मण्डी

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 07, 1978 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2020 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

समिति को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय और विक्रय पर संदेय होगा, जहाँ विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का वास्तव में संव्यवहार हुआ हो।]

1[(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी मण्डी समिति द्वारा यथा विहित रीति से थोक व्यापारी हेतु जारी लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस माना जायेगा। एकीकृत लाइसेंसधारी राज्य के किसी मण्डी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत होगा।]

नियमों या उप–विधियों द्वारा नियत व्यापारिक परिव्यय से भिन्न परिव्यय नहीं लिये जा सकेंगे

10–(1) उस दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति करे 2[***] कोई व्यक्ति, प्रधान मण्डी–स्थल या उप मण्डी–स्थल में, निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के विक्रय या क्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों द्वारा नियत व्यापारिक परिव्ययों से भिन्न कोई व्यापारिक परिव्यय न तो आरोपित करेगा और न लेगा तथा कोई न्यायालय, किसी ऐसे सौदे से उत्पन्न होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, किसी दावे या प्रतिदावे में, कोई व्यापारिक परिव्यय, जो इस प्रकार नियत न हो, नहीं दिलायेगा ।

(2) सभी व्यापारिक परिव्यय क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे ।

मण्डी–स्थलों के सम्बद्ध कतिपय उपबन्धों को मण्डी–क्षेत्र के शेष भाग में लागू करना

11–राज्य सरकार, यदि वह ऐसा करना लोक–हित में आवश्यक या इष्टकर समझे, तो गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, यह घोषणा कर सकती है कि धारा 9 की उपधारा (2) और धारा 10 के उपबन्ध प्रधान मण्डी–स्थल और उप मण्डी–स्थलों के बाहर मण्डी–क्षेत्र के विज्ञप्ति में निर्दिष्ट सम्पूर्ण या किसी भाग पर भी लागू होंगे, और प्रधान मण्डी–स्थल या उप मण्डी–स्थल से संबद्ध इस अधिनियम के शेष उपबन्ध भी, उसी दिनांक से, आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र पर लागू होंगे ।

अध्याय – 3

मण्डी समिति

समिति की स्थापना और उसका निगमन

12–(1) प्रत्येक मण्डी–क्षेत्र के लिये समिति होगा जो उस मण्डी–क्षेत्र की मण्डी समिति कहलायेगी जो सतत अनुक्रम वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक अधिकृत मुहर होगी । इसे या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा आरोपित निर्बन्धनों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगी अथवा उस नाम से उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और वह सम्पत्ति का अर्जन कर सकेगी, उसे धारण कर सकेगी तथा उसका निस्तारण कर सकेगी और संविदा कर सकेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि समिति किसी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम तीन–चौथाई सदस्यों के बहुमत द्वारा समिति की किसी बैठक मे यथाविधि पारित संकल्प के अनुसरण तथा 3[परिषद्] के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगी ।

ऐक्ट सं0 1, 1894

(2) समिति, लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 4[और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि] के प्रयोजनों के लिये, स्थानीय प्राधिकारी समझी जायगी ।

समिति का संघटन

5[**13**–(1) धारा 12 के निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2023 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 5 द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 6 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपरोक्त की धारा 6 (ii) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

सरकार द्वारा ऐसी रीति से नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा, जैसी विहित की जाय : ––

(क) मण्डी क्षेत्र के उत्पादकों के नौ प्रतिनिधि ;

(ख) मण्डी क्षेत्र मे कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेंन्स धारण करने वाले व्यापारियों के दो प्रतिनिधि ;

(ग) मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेंन्स धारण करने वाले आढ़तियों के दो प्रतिनिधि ;

(घ) मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेंन्स धारण करने वाले पल्लेदार और मापक के दो प्रतिनिधि ;

(ङ) मण्डी समिति का सचिव, जो सदस्य सचिव होगा ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सदस्य, जिन्होंने मण्डी स्थलों में अधिसूचित कृषि उत्पाद का विक्रय किया हो और प्रपत्र 6 में विगत 3 वर्षों से ऐसे विक्रय वाउचर समिति से प्राप्त किया हो, जिनका मूल्य संचयी रूप से अधिकतम हो, नाम निर्देशन के लिए अर्ह होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि नौ उत्पादक सदस्यों में से तीन सदस्य सीमांत कृषकों से, तीन सदस्य लघु कृषकों से और तीन सदस्य बड़े कृषकों से होंगे ।

(3) प्रत्येक मण्डी समिति में एक सभापति और एक उप सभापति होगा, जो उपधारा (1) के खण्डों (क से घ) में निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किये जायेंगे, जैसा कि विहित किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति और उप सभापति, उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सदस्य होंगे ।

(4) (क) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति का कार्यकाल, समिति के गठन के प्रकाशन के दिनांक से तीन वर्ष होगा, यदि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में समाप्त न कर दिया जाये ;

(ख) सभापति, उप सभापति और सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी होगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन नाम–निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का नाम, उसके नाम–निर्देशन के 21 दिन के भीतर निदेशक को रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा ।

(6) समिति द्वारा या उसकी ओर से कृत किसी कार्यवाही या कार्य पर इस आधार पर कि समिति के सभापति, उप सभापति या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम–निर्देशन में किसी अर्हता के अभाव या किसी त्रुटि के आधार पर या समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी अन्य त्रुटि के आधार पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जायेगा।][1]

कतिपय परिस्थितियों में सदस्यों का त्याग–पत्र और नाम निर्देशन

[2]**[13–क–** (क) समिति का कोई सदस्य सभापति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है। त्याग–पत्र उस दिनांक से प्रभावी होगा

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

जिस दिनांक को इसे निदेशक के पूर्व अनुमोदन से सभापति द्वारा स्वीकार किया जाय ;

(ख) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा ऐसे सदस्यों को, जिन्होने त्याग–पत्र दिया है, की रिक्तियों को भरने के लिये सम्बन्धित श्रेणी के सदस्यों में से व्यक्तियों को नाम–निर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार नाम–निर्दिष्ट किये गए व्यक्ति समिति के अवशिष्ट कार्यकाल तक के लिये पदधारण करेंगे ।]

समितियों के सदस्यों, उपसभापति और सभापति का हटाया जाना

[1][**13–ख–** राज्य सरकार, निदेशक की सिफारिश पर, सभापति या उप सभापति सहित किसी सदस्य को हटा सकती है, यदि वह अपने कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा या कदाचार का या किसी अमर्यादित आचारण का दोषी पाया गया हो या सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया हो या दिवालिया न्याय निर्णीत कर दिया गया हो और ऐसे सदस्यों की रिक्ति यथास्थिति धारा 13 की उपधारा (3) या धारा 13–क के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार भरी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सदस्य पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय ।]

समिति का निलम्बन

[2][**13–ग**–जहां निदेशक का यह समाधान हो जाय कि, ––

(क) कोई समिति जानबूझकर अपने कृत्यों के सम्पादन या अपने कर्तव्यों के पालन में विफल हो गयी हो, या इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमित के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण किया हो या दुरूपयोग किया हो ;

(ख) समिति के जारी रहने या उसके कार्य करते रहने से लोक व्यवस्था बनाये रखने पर या विपणन क्षेत्र या उसके भाग या अन्य विपणन क्षेत्रों में समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ; और

(ग) ऐसा करना आवश्यक हो, तो वह समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा समिति के कार्य को छः माह की अवधि तक के लिए निलम्बित कर सकता है ।]

निलम्बन के परिणाम

[3][**13–घ–** (1) जहाँ कोई समिति धारा 13–ग के अधीन निलम्बित कर दी जाय, वहाँ उसके सभापति, उपसभापति और सदस्य के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि उन्होने निलम्बन अवधि तक अपना–अपना पद रिक्त कर दिया और समिति की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन और सम्पादन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जो ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग, पालन या सम्पादन या तो स्वयं या ऐसे अधिकृत अधिकारी के माध्यम से जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, कर सकता है ।

(2) जहां परिस्थितियों के अनुसार समुचित आधार हो वहां निदेशक समिति के विघटन के लिए निलम्बन की तिथि से अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर राज्य सरकार को भेज सकता है ।

(3) निदेशक राज्य सरकार को धारा 13–ग के अधीन निलम्बन के विषय में

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

तत्काल रिपोर्ट करेगा और यदि कोई विपरित निदेश या आदेश निदेशक को राज्य सरकार से 15 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो निलम्बन प्रथम आदेश में निदेशित अवधि के लिये जारी रहेगा अन्यथा वह उक्त मामले में राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार कार्य करेगा ।]

समिति का विघटन

[1] **[13–ङ**–यदि किसी समय राज्य सरकार का निदेशक की रिपोर्ट पर, यह समाधान हो जाय कि किसी समिति ने इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य के पालन में जानबूझकर व्यतिक्रम किया है, या समिति के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है या उनका दुरूपयोग किया है, तो वह उन निमित्त कारणों का उल्लेख करते हुए आदेश द्वारा समिति को सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा विघटित कर सकती है।

स्पष्टीरकण–1–जानबूझकर किये गये व्यतिक्रम का तात्पर्य समिति से उद्भूत कर्तव्यों का पालन करने में विफलता उस कर्तव्य का पालन में रजामंदी का अभाव या उसकी अनिच्छा से है और ऐसी विफलता किसी घटना या अनवधानता से हुई त्रुटि का परिणाम नहीं होनी चाहिए ।

स्पष्टीकरण–2–कारणों को उल्लिखित करने का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे कारण, जिन्होंने कार्यवाही के लिए प्रेरित किया है, राज्य सरकार में निहित शक्ति की विषयवस्तु और परिधि के सन्दर्भ में वास्तविक और सुसंगत है ।

विघटन के परिणाम

[2]**[13–च**– समिति के विघटन पर, ––

(क) समिति के सभी सदस्यों, जिनके अन्तर्गत सभापति और उपसभापति भी हैं; के बारे में यह समझा जायेगा कि वे विघटन के दिनांक से अपने पद रिक्त कर चुके हैं ;

(ख) कलेक्टर समिति का प्रशासक बन जायेगा और जब तक धारा 13 के अधीन नई समिति का संगठन नहीं हो जाता है वह या तो स्वयं या किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से, जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो, सभापति, उपसभापति और समिति की शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगा ।]

प्रथम समिति या नवी समिति का संघटन

[3]**[14**– (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम समिति के, या धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) में उल्लिखित नई समिति के, सभापति तथा उप–सभापति सहित, सभी सदस्यों की नियुक्ति, उन व्यक्तियों में से करेगी जो राज्य सरकार की राय में धारा 13 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट विभिन्न स्वत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त हो।]

(2) प्रथम समिति का कार्यकाल, उपधारा (1) के अधीन उसके संघटन के दिनांक से एक वर्ष होगा, किन्तु राज्य सरकार लोकहित में, उसका कार्यकाल इस प्रकार बढ़ा सकती है अथवा और आगे बढ़ा सकती है कि बढ़ाया गया अथवा आगे बढ़ाया गया कार्यकाल, धारा 13 के अधीन समिति के संघटन के दिनांक को समाप्त हो जाय ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव से प्रतिस्थापित समझी जाय ।

(3) प्रथम समिति के सभापति और उपसभापति सहित सदस्यों की पदावधि वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निश्चित की जाय, किन्तु प्रथम समिति के कार्यकाल से अधिक न होगी ।

भ्रष्ट आचरण

[1] [**14–क**–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय–1 की धारा 123 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित मण्डी समिति के निर्वाचन पर लागू होंगे।]

निर्वाचन अपराध

[2][**14–ख**–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 7 के अध्याय–3 की धारा 125, 126, 127, 127–क, 128, 129, 130, 131, 132, 132–क, 134, 134–क, 135, 135–क और 136 के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानों, ––

(क) उनमें किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश इस अधिनियम के अधीन आयोजित निर्वाचन के प्रति निर्देश हो ;

(ख) धारा 127–क में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (एक) में शब्द "मुख्य निर्वाचन आफिसर" के स्थान पर शब्द "निर्वाचन निदेशक" रख दिये गये हों ;

(ग) धारा 134 और 136 मे शब्द "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 द्वारा या उसके अधीन" रख दिये गये हों ।

(घ) धारा 135–क में, ––

(एक) शब्द "सरकार" के स्थान पर शब्द "सरकार, परिषद या किसी मण्डी समिति" रख दिये गये हों ।

(दो) स्पष्टीकरण में शब्द "इस उपधारा और धारा 20–ख" के स्थान पर शब्द "इस धारा" रख दिये गये हों ।]

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

15–यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके त्याग–पत्र दे देने या हटाये जाने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से कोई रिक्ति हो जाये, तो उसकी पूर्ति उसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा की जायगी जिस वर्ग का यह व्यक्ति रहा हो जो सदस्य न रह गया हो और इस प्रकार [3][राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट या नियुक्त] व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिये सदस्य होगा, जिसकी रिक्ति में वह सदस्य हुआ हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक द्वारा आदेश दिया जाय तो ऐसी रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी जो छः मास से अधिक के लिये न हो :

[4][अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट करके पूर्ति की जाने वाली रिक्तियों के संबंध में, प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड का इस प्रकार अर्थ किया जायगा मानो कि शब्द "निदेशक" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" रखे गये हों ।]

समिति के कृत्य और कर्त्तव्य

16–(1) समिति, मण्डी–क्षेत्र में इस अधिनियम तदधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों को लागू करेगी, वहां पर निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के क्रय तथा विक्रय के लिये

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2001 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2001 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 8 द्वारा बढ़ायी गई ।

ऐसी सुविधाओं की, [1][जो परिषद् द्वारा समय–समय पर समिति को दिये गये किसी निदेश में निर्दिष्ट की जायें,] अथवा समिति द्वारा आवश्यक समझी जायें, व्यवस्था करेगी, और ऐसे अन्य कार्य करेगी जो उस मण्डी–क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के क्रय तथा विक्रय को विनियमित करने के लिये आवश्यक हों, और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगी जिनकी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन व्यवस्था की जाय ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति––

(1) निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के उत्पादकों और उसके विक्रय या क्रय में लगे हुए व्यक्तियों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करेगी ;

(2) प्रधान मण्डी–स्थल या उप–मण्डी–स्थलों में [2][विक्रेताओं] द्वारा बिक्री किये गये निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के संबंध में [2][विक्रेताओं] को तत्काल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगी ;

(3) निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का वर्गीकरण तथा मान–स्थापन करेगी ;

(4) मण्डी–क्षेत्र मे प्रयुक्त होने वाले बाटों, मापों और तौलने तथा मापन के यंत्रों की जांच और सत्यापन करेगी और उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के उल्लंघन की सूचना सम्बद्ध प्राधिकारियों को देगी ; उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, 1959

(5) ऐसी समस्त सूचना का संग्रह और प्रचार करेगी जो निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के उत्पादकों और उसके क्रय या विक्रय में लगे हुए व्यक्तियों के लिये लाभप्रद हो, और विशेष रूप से, ऐसे कृषि–उत्पादन के उन स्थानों में प्रचलित मूल्यों की सूचना रखेगी जहां उसका निर्यात लाभप्रद हो अथवा जहां से उसका सम्बद्ध मण्डी–क्षेत्र में आयात करना मितव्ययिता पूर्ण हो ;

(6) व्यापारिक परिव्ययों, मण्डी परिपाटियों और निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय–विक्रय की प्रथाओं तथा रूढ़ियों को स्थिर और विनियमित करेगी ;

(7) प्रधान मण्डी–स्थल और उप–मण्डी स्थलों में उत्पादकों और वहां पर क्रय या विक्रय के सौदों में लगे हुए व्यक्तियों के लिये उचित सुख–सुविधाओं की व्यवस्था करेगी और विशेष रूप से सड़कों, मार्गों, मण्डी की गलियों और छोटी गलियों (bye-lanes), दुकानों, आश्रय–स्थानों, अड्डों, संग्रह–स्थानों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करेगी तथा ऐसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी जो तदर्थ नियत की जायें ;

[3][(7–क) मण्डी क्षेत्र मे हाट और पैठ के समुचित विकास, और वहां पर क्रय और विक्रय के सौदो मे लगे हुये व्यक्तियों के लिये उचित सुविधाओं, की व्यवस्था करेगी ;

(7–ख) मण्डी क्षेत्र मे सम्पर्क सड़कों, मार्गो, मण्डी की गलियों और छोटी गलियों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करेगी ;]

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित, राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 8 (i) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 8 (ii) (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

[1] [(7–ग) मण्डी समिति अपने मण्डी क्षेत्र मे किसानों द्वारा उनकी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने, किसान विश्राम गृह एवं सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने, लोक कलाकारों द्वारा कला का प्रदर्शन करने, हैण्डीक्राफ्ट एंव अन्य उत्पादों को विभिन्न विक्रेताओं द्वारा विक्रय करने तथा किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को फुटकर दैनिक उपयोग का सामान खरीदने व खान–पान की सुविधा उपलब्ध कराने एवं उक्त से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु किसान बाजार का निर्माण, मरम्मत एवं अनुरक्षण करायेगी ।]

(8) प्रधान मण्डी–स्थल या उप–मण्डी–स्थलों में लाइसेंसधारियों में आपस में या लाइसेंसधारियों तथा उन व्यक्तियों के बीच, जो क्रय या विक्रय के सौदे करें, मतभेदों या विवादों के सभी मामलों में मध्यस्थ या विवाचक (arbitrator) के रूप में काम करेंगी ;

(9) उचित रूप से लेखा रखेगी और उसकी ऐसी रीति से जो नियत की जाय नियमित रूप से लेखा परीक्षा करायेगी ;

(10) वार्षिक बजट तैयार करेगी, जिसमें आगामी वर्ष के सभी अग्रिम धन, ऋण, अनुदान और किये जाने वाले व्यय के प्राक्कलन दिखाये जायेंगे तथा जिसमें उसके द्वारा राज्य सरकार, परिषद् अथवा राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त किसी वित्तीय संस्था से, जिसके अन्तर्गत कोई सहकारी बैंक भी है, (जिसे आगे मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था कहा गया है), लिये गये ऋण पर या इनके द्वारा उसे दिये गये अग्रिम धन पर ब्याज के भुगतान की या ऐसे ऋण के प्रतिदान की व्यवस्था की जायगी और उक्त बजट परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी ;][2]

(11) ऐसे निर्माण कार्यों के नक्शें और प्राक्कलन तैयार करेगी जो प्रधान मण्डी–स्थल तथा उप–मण्डी–स्थलों में करने का उसका विचार हो और उक्त प्रयोजन के लिये लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, 1894 के अधीन भूमि अर्जन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी ; **ऐक्ट सं0 1, 1894**

(12) अपने मामलों से संबंधित अथवा इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन का कोई वाद, अभियोग या कार्यवाही चलायेगी या उसका प्रविवाद करेगी ;

(13) अपनी मुहर, लेखा–पुस्तिकाओं तथा अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा तथा उन्हें रखने का व्यवस्था करेगी ;

(14) प्रधान मण्डी–स्थल तथा उप मण्डी–स्थलों में प्रवेश करने तथा उनका उपयोग करने को नियंत्रित और विनियमित करेगी ; और

(15) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो नियत किये जायें ।

समिति के अधिकार

17–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समिति के निम्नलिखित अधिकार होंगे––

(1) इस अधिनियम के अधीन ऐसी शर्तो और प्रतिबन्धों पर तथा ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो नियत किये जायें, लाइसेंस जारी या नवीकृत करना, अथवा उन

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 2015 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 8 (ii) (ख) द्वारा रखा गया ।

कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे लाइसेंस की जारी या नवीकृत करने से इंकार करना ;

(2) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत किये गये लाइसेंसों को निलम्बित या रद्‌द करना।

प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय ऐसे आचरण के आधार पर जिससे लाइसेंसधारी को धारा 37 के अधीन दोषी सिद्ध किया गया हो, लाइसेंस रद्‌द करने के पूर्व समिति उसे प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर देगी ;

[1][(3) (क) लाइसेंस देने या उसका नवीकरण करने के लिये ऐसे शुल्क लगाना, जो नियत किये जायें और उन्हें वसूल करना ; और

(ख) मण्डी शुल्क, जो मण्डी क्षेत्र मे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर ऐसी दरों पर, जो इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के एक प्रतिशत से कम और [2][दो प्रतिशत से अधिक न हो], जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे और विकास सेस जो ऐसे सौदों पर, इस प्रकार बेचे गये कृषि उत्पादन के मूल्य के आधा प्रतिशत की दर पर, लगाना और वसूल करना, और ऐसा मूल्य या विकास से निम्नलिखित रीति से वसूल किया जायेगा : ––

(1) यदि उत्पादन, आढ़तियां के माध्यम से बेचा जाये तो आढ़तिया क्रेता से मण्डी शुल्क और विकास सेस वसूल कर सकता है और वह समिति को उसका देनदार होगा ;

(2) यदि कोई व्यापारी सीधे उत्पादक से उत्पादन क्रय करे तो उत्पादन बेचने वाला व्यापारी उसे क्रेता से वसूल कर सकता है और वह समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा ;

(3) यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उत्पादन क्रय करे तो उत्पादन बेचने वाला व्यापारी उसे क्रेता से वसूल कर सकता है और वह समिति की मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी उत्पादन बेचने वाला व्यापारी समिति को मण्डी शुल्क का देनदार होगा और 12 जून 1973 से सदैव से देनदार हुआ समझा जायेगा और इस आधार पर कि उसने उसे क्रेता से वसूल नही किया है, ऐसे दायित्व से मुक्त न होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्पादन बेचने वाला व्यापारी विकास सेत का भुगतान करने के दायित्व से ; इस आधार पर कि उसने उसे क्रेता से वसूल नही किया है, मुफ्त न होगा।

(4) ऐसे उत्पादन के विक्रय की किसी अन्य स्थिति में, क्रेता समिति को मण्डी शुल्क और विकास सेस का देनदार होगा ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी शुल्क या विकास सेस नही लगाया जायगा न वसूल किया जायगा यदि ऐसा विक्रय उपभोक्ता को केवल उसे घरेलू उपयोग के लिये किया जाय :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, समिति, यथास्थिति, आढ़तिया, व्यापारी या क्रेता जिसमें लाइसेंस प्राप्त किया हो, के विकल्प पर किसी कृषि वर्ष के लिये, उसके द्वारा देय मण्डी शुल्क या विकास सेस की धनराशि के बदले में एक मुश्त धनराशि ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में ऐसी अवधि के लिये, ऐसी शर्तो पर और ऐसी रीति से जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, स्वीकार कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि [1][* * *] ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सौदों पर कोई मण्डी शुल्क या विकास सेस नहीं लगाया जायगा जिस पर किसी मण्डी क्षेत्र मे मण्डी शुल्क या विकास सेस लगाया जा चुका है, यदि व्यापारी विहित प्रारूप और रीति से घोषणा–पत्र या प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि ऐसे निर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर मण्डी शुल्क या विकास सेस किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में पहले ही लगाया जा चुका है।]

[2][(ग) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रूप में प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/ मण्डी उप स्थल में प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप मण्डी समिति द्वारा प्रयोक्ता प्रभार उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत किया जायेगा।]

[3][(3–क) उपविधियों में मण्डी शुल्क के भुगतान के लिये नियत अवधि के ठीक वाद के दिनांक से मण्डी शुल्क की अदत्त धनराशि परन्तु [4][व्यापार कर की अदत्त धनराशि के लिये उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 में विहित दर से] ब्याज वसूल करना जिसकी गणना उप–विधियों में नियत रीति से की जायेगी;]

(4) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिये मण्डी समिति–निधि का लेन–देन और उपयोग करना ;

[5][(5) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अपेक्षित धनराशि राज्य सरकार या परिषद् से या परिषद् की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए किसी अन्य समिति या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से जुटाना ;]

[6][(5–क) परिषद् को, ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जो परिषद् और समिति के मध्य परस्पर सम्मत हों, उधार देना ;

(5–ख) निदेशक की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जिन्हें परिषद् अवधारित करे, किसी अन्य समिति को उधार देना ।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01, 2000 की धारा 2 द्वारा निकाला गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 2020 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 2006 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 7(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 7(ग) द्वारा बढ़ाया गया

(6) धारा 23 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति के अधिकारियों और सेवकों को नियोजित करना ;

(7) समिति के दो या अधिक सदस्यों की उपसमितियां नियुक्त करना जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करें, जो समिति द्वारा उन्हें सौपे जायें ; और

(8) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो नियत किये जायें ।

[1][**स्पष्टीकरण**— खण्ड (3) के प्रयोजनों के लिये, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, किसी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी द्वारा या उसकी ओर से किसी मण्डी क्षेत्र के बाहर ले जाये गये या ले जाने के लिये प्रस्तावित किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में यह उपधारणा की जायगी कि उसे ऐसे क्षेत्र के भीतर बेचा गया है और ऐसी स्थिति में, ऐसे उत्पादन के, जिसके बेचे जाने की उपधारणा की जाय, मूल्य को ऐसा युक्तियुक्त मूल्य समझा जायगा जैसा नियत रीति से अभिनिश्चित किया जाय ।]

[2]**[17–क–**[(इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ––

[3]**[**(क) जहाँ राज्य सरकार अथवा यथाविहित प्राधिकारी की यह राय हो कि राज्य में औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और उक्त इकाइयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के विपणन को सम्प्रवर्तित करने के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, वहाँ वह ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि विहित किया जाये, आवेदन करने पर अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, के अध्यधीन ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद या उत्पादों पर अनधिक पाँच वर्षों की अवधि, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, के लिए मण्डी शुल्क (विकास उपकर को छोड़कर) से छूट प्रदान कर सकती है जिन्हें ऐसी नवस्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो इस शर्त को पूरा करती हों कि उनके संयंत्र और मशीनरी की लागत पाँच करोड़ रुपये से कम नहीं है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाईयों के तैयार उत्पाद, जो कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद हो और उसमें प्रयुक्त सामग्री कोई विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद न हो, पर (विकास उपकर को छोड़कर) से छूट प्रदान कर सकती है।**]**

[4]**[**(ख) जहाँ राज्य सरकार की राय हो कि विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ वह, आवेदन किये जाने पर या अन्यथा अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन या उत्पादनों पर ऐसी अवधि जो पाँच वर्ष से अधिक नही होगी, के लिए जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, मण्डी

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1987 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2020 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 2005 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

शुल्क और विकास सेस से छूट प्रदान कर सकती हे, जिन्हें लाइसेंसधारी द्वारा विहित रीति से निर्यात किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी नये पूर्णरूपेण निर्यातोन्मुख औद्योगिक या कृषि प्रसंस्करण इकाई के मामले में, जो नष्ट होने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करती हो, इस खण्ड के अधीन छूट की अवधि 10 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ायी जा सकती है ।,

[1][(ग) जहॉ राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की सीापना को प्रोत्साहन रकना आवश्यक और समीचीन है वहॉ वह, राज्य के बाहर से प्रसंस्करण हेतु लाये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर यथा विहित रीति से मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर में छूट प्रदान कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य के बाहर से लाये गये कृषि उत्पाद को प्रसंस्करण इकाई द्वारा सीधे क्रय किया जायेगा और विनिर्दिष्ट कृषि उत्पार पर राज्य, जहॉ कृषि उत्पाद लाया गया हो, में प्रवृत्त विधि, यदि कोई हो, के अनुसार मण्डी शुल्क एवं उपकर, यदि कोई हो, का सम्यक रूप से भुगतान किया जायेगा।

(घ) खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहॉ राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन करना और राज्य में उत्पादित विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन और उसे उक्त इकाईयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना लोकहित में आवश्यक एवं समीचीन है वहॉ वह, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर यथा विहित रीति से मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर में छूट प्रदान कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रसंस्करण इकाई उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद, राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से, उत्तर प्रदेश राज्य में सीधे कृषकों से क्रय करेगी।

(ड.) राज्य सरकार पूर्वोक्त खण्ड (ग) एवं (घ) के अधीन प्रदत्त छूट के फलस्वरूप राज्य की समस्त मण्डी समितियों की आय में विहित रीति से आगणित कुल कमी की प्रतिपूर्ति, वार्षिक आय–व्ययक के माध्यम से करेगी।]

(2) राज्य सरकार, इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, अधिसूचना द्वारा ऐसी अवधि जो प्रवृत्त थी, की समाप्ति के पूर्व उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना को विखण्डित कर सकती है ।]

समिति की ओर से संविदा आदि

18–(1) समिति द्वारा या उसकी ओर से प्रत्येक संविदा नियत रीति से निष्पादित की जायगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित कोई भी संविदा उस पर बंधनकारी न होगी ।

(3) समिति की प्रत्येक आज्ञा सभापति के हस्ताक्षर से या उसके अनुपस्थित अथवा असमर्थ होने पर उस सभापति के, या जब समिति द्वारा प्राधिकार दिया गया हो तो सचिव के हस्ताक्षर से और समिति को अधिकारिक मुहर लगाकर प्रमाणित की जायेंगी ।

मण्डी समिति निधि और उसका उपयोग

19–(1) प्रत्येक समिति के लिये एक निधि स्थापित की जायगी जो मण्डी समिति निधि कहलायेगी तथा जिसमें समिति द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां, जिनके अन्तर्गत उसके द्वारा लिये गये सभी ऋृण तथा उसे दिये गये अग्रिम धन और अनुदान भी है, जमा की जायेगी ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2023 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) समिति द्वारा या उसके लिये नियोजित अधिकारियों तथा सेवकों के वेतन, पेन्शन और भत्ते, जिनके अन्तर्गत अवकाश–भत्ते, उपदान (Gratuities), कारूण्य भत्ते (Compassionate allowance), चिकित्सा–सहायता और भविष्य निधि तथा पेंशन में अंशदान भी है ;

(3) धारा 16 के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति अपनी निधि का उपयोग निम्नलिखित सभी या किसी एक का भुगतान करने के लिये कर सकती है ––;

(1) समिति के लेखों की लेखा–परीक्षा में हुए व्यय ;

(2) समिति द्वारा या उसके लिये नियोजित अधिकारियों तथा सेवकों के वेतन, पेन्शन और भत्ते, जिनके अन्तर्गत अवकाश–भत्ते, उपदान (Gratuities), कारूण्य भत्ते (Compassionate allowance), चिकित्सा–सहायता और भविष्य निधि तथा पेंशन में अंशदान भी है ;

(3) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के व्यय और उसके प्रासंगिक व्यय ;

[1][(4) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (10) में अभिदिष्ट ऋण तथा अग्रिम धन की मूल धनराशि अथवा उन पर ब्याज ;

(4–क) समिति के कब्जे में किसी भूमि या भवन या किराया और उसके कर ;]

(5) ऐसी समस्त सूचना जो, उत्पादकों और कृषि–उत्पादन के क्रय–विक्रय में लगे हुए अन्य व्यक्तियों के हित में हो, जिसके अन्तर्गत शस्य सांख्यिकी (Crop-Statistics) और मण्डी परिज्ञान (intelligence) भी है, के संग्रह, अनुरक्षण, प्रचार ओर संभरण पर व्यय ;

(6) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित भूमि या भवनों का व्यय ;

(7) मण्डी–स्थलों के लिये और उनका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुविधा तथा सुरक्षा के लिये आवश्यक भवनों के निर्माण और मरम्मत का व्यय ;

(8) मण्डी–स्थलों के अनुरक्षण, विकास और सुधार का व्यय ;

[2][(9) मण्डी क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों, भारवाही पशुओं, लद्दू पशुओं और वाहनों के लिए आश्रय स्थल, रोड, गाड़ी खड़ी करने की जगह और जल जैसी सुविधाओं और सुख–साधन की व्यवस्था करने पर और मण्डी क्षेत्र मे कृषि सुधार और कृषि विपणन के विकास पर जिसके अन्तर्गत सम्पर्क सड़क, पुलिया, पुल का निर्माण, अनुरक्षण ओर मरम्मत और अन्य ऐसे प्रयोजन भी है, व्यय;]

(10) मण्डी समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते ;

(11) मण्डी समिति के कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम धन ;

[3][(11–क) परिषद द्वारा अनुमोदित पूर्व संस्थाओं या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को, पूर्व वित्तीय वर्ष में धारा 17 के खण्ड (5) के अधीन जुटाई गयी धनराशि और सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों को छोड़कर कुल प्राप्तियों के अधिकतम चार प्रतिशत तक वित्तीय सहायता।]

(12) ऐसे अन्य व्यय जो नियत किये जायें :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 10 (i) (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1985 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7 सन् 2020 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

1[प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (2) में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में वार्षिक व्यय, समिति की कुल वार्षिक प्राप्तियों के, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा लिये गये ऋण और उसे दिये गये अग्रिम धन या अनुदान नहीं है, दस प्रतिशत से अधिक, सिवाय 2[परिषद्] के पूर्वानमोदन के, न होगा।]

3[अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अधीन अतिरिक्त मण्डी शुल्क के रूप में वसूल की गयी समस्त धनराशि का उपयोग मण्डी क्षेत्र मे केवल खण्ड (9) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जायगा।]

(4) 4[* * * *]

5[(5) प्रत्येक समिति वित्तीय वर्ष में धारा 17 के खण्ड 5 के अधीन जुटाई गयी धनराशि, विकास सेस के रूप में वसूल की गयी धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों मे से केवल पचास प्रतिशत अथवा दस करोड़ रूपयें जो भी कम हो, रखकर शेष धनराशि परिषद को अंशदान के रूप में अन्तरित करेगी ।]

6[(6) प्रत्येक समिति विकास सेस के रूप में वसूल की गयी समस्त धनराशि को प्रत्येक माह परिषद् को भुगतान करेगी, जिसे धारा 26–ततत के अधीन स्थापित केन्द्रीय मण्डी निधि में जमा किया जायगा ।]

समिति के दायित्वों की पूर्विकता

19–क– समिति के परिचालन, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध संबंधी व्ययों को पूरा करने के पश्चात् उसकी यथा उपलब्ध आय का उपयोग निम्नलिखित क्रम में किया जायगा, अर्थात् :–

(1) ऐसे ऋण के, जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत न हो, मूल धन और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय ;

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऋण का मूलधन और उस पर ब्याज का प्रति–संदाय ;

(3) राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों, यदि कोई हों, के अधीन, उस सरकार द्वारा संदत्त मूलधन और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय ;

(4) राज्य सरकार से लिये गये ऋण का मूलधन और उस पर ब्याज का प्रतिसंदाय ;

(5) शेष धनराशि का उपयोग इस अधिनियम के अधीन समिति को सदेय शुल्कों को कटौती करने के लिये अथवा समिति से किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्ययों के लिये, जैसा समिति ठीक समझे अथवा जैसा परिषद् निदेश दे ।]

मण्डी विकास निधि

7[**19–ख–** (1) प्रत्येक समिति के लिए एक निधि स्थापित की जायेगी जिसे "मण्डी विकास निधि" कहा जायगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी : ––

(क) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मंडी समिति निधि में जमा धनराशि का पैंसठ प्रतिशत ;

(ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे इस निधि में जमा करने के लिए परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्देश दिया जाय ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 10 (i) (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1985 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 1999 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 07, 1978 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।

(2) मण्डी विकास निधि का उपयोग मण्डी क्षेत्र के विकास के प्रयोजनार्थ किया जायगा, और निधि से कोई धनराशि, सिवाय परिषद् द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार, न तो व्यय और न विनिहित की जायगी ।]

[1][(3) उपधारा (2) के उबपन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मण्डी विकास निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, अर्थात् : ––

(1) कृषकों, अन्य उत्पादकों और मण्डी शुल्क देने वालो को निम्नलिखित रूपों में सुविधायें प्रदान करना : ––

सुख–सुविधायें, मण्डी विषयक आसूचनाएं, उचित तौल, वर्गीकरण, क्वालिटी नियंत्रण, भण्डारण, उपयोगितावर्धन, क्रिया–कलापों के लिये आधारभूत संरचनायें, कुपधतियों, बहु व्यापार–प्रभार, उदग्रहण तथा अन्य आहरण में कमी लाना, नीवन मण्डी स्थल मे ंविभिन्न व्यापारों के लिए विशेष सुविधायें तथा अन्य ऐसी सुविधायें देना जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मण्डी क्षेत्र में आवश्यक समझी जायें ;

(2) प्रधान मण्डी स्थलों, उप मण्डी स्थलों, हाठ और पैठ का विकास करना और नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण करना और मण्डी क्षेत्र मे सम्पर्क सड़कों और अन्य विकास कार्यो का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत करना ;

(3) अधिनियम के अधीन अन्य विकास और सुव्यवस्था विषयक प्रयोजन ।

स्पष्टीकरण :–– "नवीन मण्डी स्थल" का तात्पर्य थोक सौदा करने के लिये धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों से है ।]

समिति को देय धनराशियों की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली तथा वसूल न होने योग्य देयों के बट्टे खाते डालने का अधिकार

20–(1) यदि नियत अवधि के भीतर समिति को देय किसी धनराशि का भुगतान न किया गया हो तो वह मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है ;

(2) समिति किसी धनराशि को बट्टे खाते डाल सकती है जो उसे देय हो, यदि कलेक्टर प्रमाणित कर दे कि वह वसूल होने योग्य नही है :

प्रतिबन्ध यह है कि 200 रू0 से अधिक कोई भी धनराशि, निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना, बट्टे खाते नही डाली जाएगी ।

अधिभार

[21–(1) समिति का सभापति, उप सभापति, प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक, समिति को किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरूपयोग होने पर अधिभार के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि अपव्यय या दुरूपयोग ऐसे सभापति, उप सभापति, सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो ।

(2) अधिभार के लिए प्रक्रिया और हानि, अपव्यय या दुरूपयोग हुई धनराशि की वसूली ऐसी रीति से की जाएगी जो नियत की जाय ।

(3) किसी ऐसे धनराशि की वसूली के लिए, जो उपधारा (2) के अधीन विहित रीति से वसूल की जा सकती है, किसी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नही किया जाएगा।][2]

अध्याय – 4

समिति के अधिकारी तथा सेवक

सभापति तथा उपसभापति के अधिकार और कर्त्तव्य

22– (1) सभापति, और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और उपविधियों तथा समिति के संकल्पों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, समिति के अधिकारियों तथा सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा तथा ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग ओर कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किए जायें या समिति द्वारा तदर्थ पारित संकल्प द्वारा उसे प्रतिनिहित किए जायें ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित एवं सदैव से प्रतिस्थापित समझी जाय ।

हों, के अधीन रहते हुए, समिति के अधिकारियों तथा सेवकों का अधीक्षण और नियंत्रण करेगा तथा ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग ओर कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किए जायें या समिति द्वारा तदर्थ पारित संकल्प द्वारा उसे प्रतिनिहित किए जायें ।

(2) सभापति, और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्योंक द्वारा चुना गया कोई सदस्य, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

समिति के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें

23– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के तथा तदर्थ बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, समिति द्वारा पारित संकल्प द्वारा या उपविधियों द्वारा अधिकृत सीमा तक, समिति, उसका सभापति या सचिव ऐसे अधिकारियों और सेवकों को, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों, सेवा की ऐसी शर्तो पर, जिनकी व्यवस्था समिति की उपविधियों में की जाए, नियुक्त कर सकता है ।

[1][(2) प्रत्येक समिति [2][के उतने सचिव] और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे जिन्हें परिषद् समिति के कृत्यों का दक्षता से निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे, जो परिषद् द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित शर्तो तथा निबन्धनों पर नियुक्त किए जा सकेंगे।]

(3) [3][* * * *]

केन्द्रीय सेवा का संघटन तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण

[4]**[23–क–** (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् सभी समितियों के लिए सचिवों और ऐसे अन्य अधिकारियों का एक सामान्य संवर्ग संघटित करेगी जिन्हें वह धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त करना ठीक समझे ।

[5][(2) उपधारा (2–ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,

(क) किसी समिति में प्रतिनियुक्ति पर सेवारत सरकारी सेवक से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट संवर्ग में समाविष्ट कोई पद धारण करता हो, और

(ख) उक्त संवर्ग में किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर किसी समिति में सेवारत प्रत्येक सरकारी सेवक, जो अनुपयुक्त न पाया जाय, उसकी उपयुक्तता ऐसी रीति से अवधारित की जायगी जैसी विनियमों में निर्धारित की जाय।

उक्त संवर्ग के गठन के दिनांक को और उसी दिनांक से (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) उपधारा (2–क) में उल्लिखित निबन्धनों और शर्तो पर संवर्ग का सदस्य हो जायगा ।

---

1. उ0 प्र0 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 की धारा 13 (प) द्वारा रखी गई ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 की धारा 13 (ii) द्वारा निकाली गई ।
4. उपर्युक्त की धारा 14 द्वारा नयी धारा 23.क अन्तःस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1984 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2–क) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन संवर्ग का सदस्य हो जाता है उतनी ही पदावधि के लिये, उसी पारिश्रमिक पर, उन्हीं निबन्धनों और शर्तो पर और पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद धारण करेगा जिन पर वह उक्त दिनांक को हकदार होता यदि संवर्ग का गठन न हुआ होता, और इस प्रकार हकदार बना रहेगा जब तक कि संवर्ग के सदस्य के रूप में उसका सेवायोजन समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि किसी विधि के अधीन या उसके अनुसरण मे ंया किसी ऐसे उपबन्ध के अनुसार जिससे तत्समय उसकी सेवा नियंत्रित होती है, परिषद् द्वारा उसके पारिश्रमिक या सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तो का पुनरीक्षण या परिवर्तन न कर दिया जाय ।

(2–ख) उपधारा (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार की, ऐसे समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, दी गई लिखित सूचना द्वारा उक्त संवर्ग का सदस्य न होने के अपने आशय की सूचना दे ।

(2–ग) किसी समिति के अधीन किसी कर्मचारी की सेवायें, जो आमेलन के विरूद्ध विकल्प करता है, पद समाप्त किये जाने के आधार पर समाप्त हो जायेंगी और इस प्रकार सेवा समाप्ति पर, वह सम्बद्ध समिति से निम्नलिखित के बराबर प्रतिकर पाने का हकदार होगा ––

(क) किसी स्थायी कर्मचारी की स्थिति में, तीन मास की परिलब्धियां ;

(ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की स्थिति में, एक मास की परिलब्धियां ।

(2–घ) किसी सरकारी सेवक को जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट संवर्ग मे ंकिसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर किसी समिति में सेवारत हो, आमेलन के विरूद्ध विकल्प करता है या जिसे उपयुक्त न पाया जाय, उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा और यदि उसकी ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए, मूल विभाग में उसके लिये कोई पद उपलब्ध नही है तो उसकी सेवायें पद के समाप्त किये जाने के आधार पर प्रत्यावर्तन के आदेश के दिनांक से समाप्त हो जायेंगी और इस प्रकार सेवा की समाप्ति पर, वह राज्य सरकार से उपधारा (2–ग) में उल्लिखित धनराशि के बराबर प्रतिकर पाने का हकदार होगा ।][1]

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु किसी अभिव्यक्त प्रतिकूल करार के अधीन रहते हुए, उसमें निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जो संवर्ग का सदस्य हो जाय किसी समिति से जिसमें वह उक्त तारीख के ठीक पूर्व नियोजित था, किसी अन्य समिति मे उसी पारिश्रमिक तथा उन्ही निबन्धनों एवं शर्तो पर जिनसे वह ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व नियंत्रित होता था, स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए गठित किसी पेंशन, भविष्य निधि, उपदान अथवा तत्सदृश अन्य निधियों में उनके नाम जमा धनराशि, यथास्थिति, राज्य सरकार या संबद्ध समिति द्वारा उक्त तारीख तक शोध्य संचयित ब्याज और ऐसी निधि से संबंन्धित लेखे सहित परिषद् को अन्तरित कर दी जायगी और राज्य सरकार तथा किसी समिति को छोड़कर, परिषद् ऐसे कर्मचारियों को निवृत्ति वेतन, भविष्य निधि, उपदान या अन्य तत्सदृश शोध्यों को, जो उनकी सेवा की शर्तो के अनुसार, समुचित समय पर, उन्हें

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 20, 1984 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

संदेय हो, संदाय करने के लिए दायी होगी ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन किसी संवर्ग में किसी कर्मचारी की सेवाओं के स्थानान्तरण से कोई ऐसा कर्मचारी ऐसी विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार न होगा, और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण द्वारा ग्रहण नहीं किया जायगा ।

(6) राज्य सरकार अथवा किसी समिति का प्रत्येक स्थायी या अस्थायी कर्मचारी उपधारा (2) के अधीन संवर्ग का सदस्य होने पर उक्त तारीख को ओर से स्थायी या अस्थायी पद के प्रति जो उक्त तारीख से ऐसे संवर्ग में सृजित हो जाएगा, संवर्ग का यथास्थिति, स्थायी या अस्थायी सदस्य हो जायगा ।

(7) राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति के नियंत्रणाधीन सरकारी सेवकों पर लागू सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के पैरा 426 या 236 अथवा पदों की छटनी या उनको समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में समितियों के कर्मचारियों से संबंधित किन्हीं अन्य नियमों की कोई बात, इस धारा मे ंउपबन्धित विस्तार के सिवाय उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी पर लागू न होगी।][1]

24–[2][(1) समिति का सचिव उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, और इस अधिनियम के उबपन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कृत्यों का सम्पादन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किये जाये या जो उपविधियों में उपबन्धित किये जायें या जैसा परिषद् या निदेशक लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे :

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी एक समिति में एक से अधिक सचिव तैनात किये जाये, तब निदेशक सचिवों मे से एक सचिव को उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी नामांकित करेगा और उनमें से प्रत्येक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कृत्यों, प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और पालन किये जाने वाले कर्तव्यों को अवधारित करेगा।]

(2) पूर्वोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, किन्तु इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सचिव ––

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ––

(1) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन उचित रूप से तथा दक्षतापूर्वक हो, समिति के समस्त अधिकारियों और सेवकों के ; तथा

(2) समिति के मामलों के, अधीक्षण और नियंत्रण के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा ।

[3][(ख) समिति के किसी कर्मचारी के उपेक्षा, दुराचरण या कर्त्तव्यच्युति के मामलों की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के लिए देगा, और यदि इसके लिए

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 14 द्वारा अन्तः स्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अधिकृत किया गया हो तो समिति के किसी भी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करेगा ;]

(ग) वह सुनिश्चित करेगा कि [1][परिषद्] सभापति या समिति द्वारा जारी की गई सभी आज्ञाओं का समुचित रूप से पालन किया जाए ;

(घ) वह सुनिश्चित करेगा कि ––

(1) समिति की ओर से प्राप्त या व्यय की गई सभी धनराशियों के लेखे ;

(2) इस अधिनियम, या तद्धीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन निर्णय के लिए आए हुए विवादों के अभिलेख ; और

(3) उसके द्वारा निपटाए गए विवादों का अभिलेख ऐसे प्रपत्र में, जो नियत किया जाय, समुचित रूप से रक्खे जायें ।

(3) इस अधिनियम के अधीन सभी लाइसेंस उसके हस्ताक्षर से जारी किए जाएंगे।

अपील

[2][**25**–इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के रहते हुए, धारा 23–क के अधीन गठित किसी संवर्ग के सदस्यों के नियोजन की शर्ते तथा निबन्धन और ऐसे अधिकारियों के अनुशासन, नियंत्रण तथा दण्ड जिसके अन्तर्गत पदच्युत किया जाना तथा पद से हटाया जाना भी है से सम्बन्धित विषय परिषद् द्वारा बनाए, गए विनियमों से शासित होंगे।]

नियमों के अधीन समितियों के अधिकारियों तथा सेवकों के नियोजन की शर्ते तथा निबन्धन

[3][**25–क**–इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के रहते हुए, धारा 23–क के अधीन गठित किसी संवर्ग के सदस्यों के नियोजन की शर्ते तथा निबन्धन और ऐसे अधिकारियों के अनुशासन, नियंत्रण तथा दण्ड जिसके अन्तर्गत पदच्युत किया जाना तथा पद से हटाया जाना भी है से सम्बन्धित विषय परिषद् द्वारा बनाए, गए विनियमों से शासित होंगे ।]

इस अधिनियम के अधीन करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा

26–[4][परिषद् या समिति] का प्रत्येक अधिकारी या सेवक, इण्डियन पीनल कोड, 1860 की धारा 21 के अर्थ में "पब्लिक सर्वेन्ट" (लोक–सेवक) समझा जायगा ।

अध्याय – 5

परिषद् की स्थापना

[5][**26–क**– (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना[6] द्वारा, और उसमें निर्दिष्ट तारीख से राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के नाम से एक परिषद् जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, स्थापित करेगी ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 15 द्वारा अन्तः स्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 18 द्वारा नई धाराएं 26–क से 26–भ तक अन्तः स्थापित।
6. अधिसूचना संख्या ए–5256/12(5)–96–73, दिनांक 26 जून, 1973 के द्वारा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् की स्थापना 27 जून, 1973 से की गई ।

(2) परिषद् उक्त नाम से शास्वत उत्तराधिकार वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी अथवा उसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा संपत्ति का अर्जन, धारण तथा उसका व्ययन करेगी और संविदा करेगी।

(3) परिषद् सभी प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण समझी जाएगी।

परिषद् का गठन

26–ख–(1) परिषद् में [1][राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और तीन उपाध्यक्ष जो कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त गैर–सरकारी सदस्य होंगे] के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् :–

[(क) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश [2][या सचिव की श्रेणी से अन्यून उसका नाम निदेशिती" ;]

(ख) [3][प्रमुख सचिव/सचिव], उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग ;

(ग) [4][प्रमुख सचिव/सचिव], उत्तर प्रदेश सरकार, खाद्य तथा रसद विभाग ;

[5][(घ) कृषि विभाग में राज्य सरकार का प्रमुख सचिव/सचिव ।]

(ङ) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश ;

(च) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ;

[6][(च–1) कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार,

(च–2) निदेशक, औद्योनिकी एवं फलोपयोग, उत्तर प्रदेश ;

(च–3) [7][निदेशक, कृषि विपणन, उत्तर प्रदेश] ;

(च–4) उत्तर प्रदेश कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायगा ;]

(छ) राज्य सरकार द्वारा ऐसे उत्पादकों मे से जो मण्डी समितियों के सदस्यों के रूप में [8][नामनिर्दिष्ट] हों, नियुक्त [9][छः] व्यक्ति, और जब तक कि ऐसे [8][नामनिर्दिष्ट]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 2(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 2(ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 2(घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 2(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 11(पपप) द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 2002 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1977 की धारा 11(पअ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

सदस्य उपलब्ध न हों, उक्त सरकार द्वारा नियुक्त कोई [1][छः] उत्पादक ;

(ज) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त [2][दो व्यक्ति] जो व्यापारियों अथवा आढ़तियों मे से मण्डी समिति के सदस्य के रूप में [3] [नामनिर्दिष्ट] हों और जब तक कि ऐसे [3][नामनिर्दिष्ट] सदस्य उपलब्ध न हों, उक्त सरकार द्वारा नियुक्त [2][कोई दो व्यापारी या आढ़ती] ;

(झ) मण्डी निदेशक, जो परिषद् का पदेन सचिव होगा, (जिसे इसके पश्चात् इस अध्याय मे सदस्य–सचिव के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) ।

(2) [4] [उपाध्यक्ष] तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचित की जायगी।

(3) खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग) या खण्ड (घ) मे निर्दिष्ट सदस्य, परिषद् के किसी अधिवेशन में स्वयं उपस्थित होने के बजाय किसी अधिकारी को जो उप सचिव के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है और खण्ड (ड़) में निर्दिष्ट सदस्य, इसी प्रकार किसी अधिकारी को जो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है और खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य, इसी प्रकार किसी अधिकारी को जो अपर कृषि निदेशक के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है, [5][और खण्ड (च–1) मे निर्दिष्ट सदस्य किसी अधिकारी को जो भारत सरकार के संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है, और खण्ड (च–2) में निर्दिष्ट सदस्य किसी अधिकारी को जो अपर निदेशक, औद्यानिकी एवं फलोपयोग के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकता है] और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा ।

[6][उपाध्यक्ष] अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हता

26–ग– कोई व्यक्ति [6][उपाध्यक्ष] या अन्य सदस्य चुने जाने या होने के लिये अनर्ह होगा, यदि वह ––

(क) नैतिक अधमता वाले अपराध के लिये सिद्ध दोष हुआ हो ;

(ख) अनुन्मुक्त दिवालिया हो ;

(ग) विकृत–चित्त का हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हो ;

(घ) धारा 26–घ और धारा 26–ड़ में किये गये उपबन्ध को छोड़कर परिषद् के अधीन किसी लाभ के पद पर हो ;

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, नियोजक या कर्मचारी द्वारा परिषद् के साथ द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, आर्थिक या

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 11(iv) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 11(v) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 2(2) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 11(vख) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो ; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक या सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकार हो, जो परिषद् के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित रखता हो ;

परन्तु खण्ड (ड़) या खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी हो ;

(i) किसी स्थावर सम्पत्ति की बिक्री, क्रय, उसे पट्टे पर देने या उसके विनियम अथवा उसके लिये किये गये किसी करार में ;

(ii) धनराशि के उधार के लिये किसी करार में या केवल धनराशि के संदाय के लिये किसी प्रतिभूति में ;

(iii) किसी ऐसे समाचार–पत्र में, जिसमें परिषद् के कार्यकलाप के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित हो ;

(iv) परिषद् को किसी एक वर्ष में दस हजार रूपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु में, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो, यदा–कदा कोई अंश या हित है ।

[1][उपाध्यक्ष]तथा अन्य दस्तो की पदावधि

26–घ–(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् का [1][उपाध्यक्ष] तथा अन्य सदस्य, जो उसके पदेन सदस्य न हों, दो वर्ष के लिये पद धारण करेंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा [1][उपाध्यक्ष] या अन्य सदस्य को पदावधि राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय, और वे पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

[2][(2) धारा 26–ख की उपधारा (1) के खण्ड (च–4) या खण्ड (छ) या खण्ड (ज) के अधीन नियुक्त सदस्य की परिषद् में सदस्य, यथास्थिति, वैसे कुलपति पद पर न रह जाने पर या मंडी समिति का निर्वाचित सदस्य न रह जाने पर समाप्त हो जायगी।]

(3) [1][उपाध्यक्ष] या कोई अन्य सदस्य जो पदेन सदस्य न हो, किसी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, और ऐसा त्याग–पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

26–ङ– (1) [1][उपाध्यक्ष] तथा ऐसे सदस्यों को जो पदेन सदस्य नह हो, परिषद् की निधि से ऐसा पारिश्रमिक, यदि कोई हो, दिया जायगा जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाय ।

(2) यदि [1][उपाध्यक्ष] अथवा उपर्युक्त कोई अन्य सदस्य अंग शैथिल्य के कारण या अन्यथा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ है अथवा छुट्टी पर ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थित है, जिसमें उसका पद रिक्त न हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी ।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति

26–च–(1) परिषद् अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिये ऐसे अधिकारियों और सेवकों को ऐसी शर्तो तथा निबन्धनों पर जो परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों में उपबन्धित किये जायें, नियुक्त कर सकेगी ।

(2) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सेवक को ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर जिन्हें वह ठीक समझे परिषद् या किसी समिति का अधिकारी या सेवक नियुक्त कर सकेगी ।

निदेशक द्वारा पर्यवेक्षण या नियंत्रण

26–छ– परिषद् के अधीक्षण के अधीन रहते हुए, परिषद् के समस्त अधिकारियों और सेवकों पर सामान्य नियंत्रण तथा उनको निदेश देना निदेशक में निहित होगा ।

परिषद् के आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

26–ज– परिषद् की सभी कार्यवाहियां अध्यक्ष या सदस्य–सचिव के हस्ताक्षर से अधि–प्रमाणीकृत की जायेंगी और परिषद् द्वारा जारी किये गये सभी आदेश तथा अन्य लिखत सदस्य–सचिव या परिषद् के ऐसे अन्य अधिकारी के, जिसे विनियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किये जायेंगे ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

26–झ– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायं, [1][अपने द्वारा नियुक्त किसी उप–समिति या निदेशक या] के सदस्य सचिव अथवा परिषद् के किसी अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे ।

हित होने के कारण कार्यवाहियों मे भाग लेने से अनर्हता

26–ञ– (1) परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी उप समिति का [2][उपाध्यक्ष] या कोई सदस्य ––

(क) जिसका किसी मामले के सम्बन्ध में धारा 26–ग के खण्ड (ड़) या खण्ड (च) में वर्णित प्रकार का कोई अंश या हित हो ; या

(ख) जिसने किसी मामले के सम्बन्ध में, किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसका उस मामले में यथापूर्वोक्त प्रकार का कोई अंश या हित हो, वृत्ति रूप से काम किया हो, धारा 26–ग के परन्तुक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले के सम्बन्ध मे परिषद् या समिति की किसी कार्यवाही में न ही मत देगा और न भाग लेगा ।

(2) यदि परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति के किसी सदस्य का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जित करना प्रस्थापित है, कोई हित हो, तो वह परिषद् की उप समिति की किसी ऐसी बैठक में भाग नहीं लेगा जिसमें ऐसी भूमि से सम्बद्ध किसी मामले पर विचार किया जाय ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात परिषद् या उप समिति के किसी सदस्य को उक्त उप–खण्डों में निर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी अन्य विषय से सम्बद्ध किसी संकल्प या प्रश्न पर मत देने या उस पर विचार–विमर्श मे भाग लेने से निषिद्ध नहीं करेगी।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अनौपचारिकता, रिक्ति आदि के कारण किये गये कार्य का अविधिमान्य न होना

26–ट–परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किसी उप समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही केवल ––

(क) परिषद् या उप समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने ; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति में, जो उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने ; या

(ग) किसी ऐसे कार्य या कार्यवाही में, जिसका मूल तत्व पर प्रभाव न पड़ता हो, कोई त्रुटि या अनियमितता होने, के कारण अविधिमान्य न होगी ।

परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य

26–ठ–(1) परिषद् के इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित कृत्य होंगे और उसे ऐसा कोई कार्य करने की शक्ति होगी जो उन कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हो ––

(1) मण्डी समितियों के कार्य संचालन तथा उनके अन्य कार्य–कलापों जिनके अन्तर्गत ऐसी समितियों द्वारा [1][नये मंडी–स्थलों के निर्माण ओर वर्तमान मंडियों तथा मंडी क्षेत्रों के विकास] के लिये व्यवस्थित कार्यक्रम भी है, का पर्यवेक्षण और नियंत्रण ;

(2) समितियों को सामान्य रूप से अथवा किसी समिति को विशेषतः उसकी दक्षता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निदेश देना ;

(3) कोई अन्य कृत्य जो उसे इस अधिनियम द्वारा सौपे जायें ;

(4) ऐसे अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिषद् को सौंपे जाये ।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्ति भी होगी : ––

(1) मण्डियों के विकास के लिये समितियों द्वारा चुन गये नये स्थलों के प्रस्तावों का अनुमोदन करना ;

(2) स्थल–नक्शों और समिति द्वारा व्यवसित निर्माण कार्य–क्रमों के तखमीने तैयार करने में समितियों का पर्यवेक्षण तथा पथ–प्रदर्शन करना ;

(3) परिषद् की निधि पर प्रभार्य समस्त निर्माण–कार्यो को निष्पादित करना ;

(4) ऐसे प्ररूपों में जो नियत किये जायं, लेखे रखना और उनकी लेखा परीक्षा ऐसी रीति से जैसी परिषद् के विनियमों में निर्धारित की जाय, कराना ;

(5) वर्ष की समाप्ति पर अपनी प्रगती रिपोर्ट, तुलन–पत्र तथा आस्तियों और दायित्वों का विवरण प्रति वर्ष प्रकाशित करना और उसकी प्रतियां परिषद् के प्रत्येक सदस्य तथा सभी मण्डी समितियों के सभापतियों को भेजना ;

(6) कृषि उत्पादन के विनियमित क्रय–विक्रय से सम्बद्ध विषयों का प्रचार तथा विज्ञापन करने के लिये आवश्यक प्रबन्ध करना ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 14(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(7) मण्डी समितियों के अधिकारियों तथा सेवकों के प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करना ;

(8) आगामी वर्ष का बजट तैयार करना और अंगीकृत करना ;

(9) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जैसा परिषद् अवधारित करे, मण्डी समितियों को वित्तीय सहायता [1][और उधार] देना ;

(10) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो मण्डी समितियों के सामान्य हित में अथवा परिषद् के दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिये आवश्यक समझे जायें अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किये जायें ।

नीति विषयक प्रश्नों पर निदेश

26–ड–(1) अपने कर्तव्यों का पालन करने में परिषद् नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा मार्ग–दर्शन प्राप्त करेगी जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध मे राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निदेश जारी कर सकती है तो राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

वार्षिक रिपोर्ट, आंकड़े, विवरणियां तथा अन्य जानकारी

26–ढ–(1) परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र ऐसी तारीख से पूर्व और ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, एक रिपोर्ट जिसमें पिछलें वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्यकलापों का लेखा दिया जायगा तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट मे ऐसे कार्यकलापों का भी, यदि कोई हो, लेखा दिया जायगा तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट में ऐसे कार्यकलापों का भी, यदि कोई हो, लेखा दिया जायगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में परिषद् द्वारा किये जाने की सम्भावना हो और राज्य सरकार प्रत्येक ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त उसे, यथा शक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगी ।

(2) परिषद्, राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और परिषद् के किसी प्रस्तावित या वर्तमान कार्यकलापों अथवा परिषद् के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसे ब्यौरे, जिसकी राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगी ।

संविदा आदि का निष्पादन तथा रजिस्ट्रीकरण

26–ण– परिषद् की ओर से प्रत्येक संविदा अथवा सम्पत्ति हस्तान्तरण–पत्र लिखित रूप में होगा तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, निष्पादित किया जायगा ।

परिषद् की निधि

[2] **[26–त–**(1) परिषद् की एक अपनी निधि होगी, जो स्थानीय निधि समझी जायगी और जिसमें परिषद् द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त धारा 26–तत के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि मे जमा की जाने वाली धनराशि को छोड़कर, समस्त धनराशि जमा की जायेगी ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 14(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 26.त द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) विशेष रूप से ओर विनियोजन और निस्तारण के प्रयोजन और रीति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग परिषद् द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, अर्थात् : ——

(1) परिषद् द्वारा नियोजित अधिकारियों और सेवकों को वेतन, छुट्‌टी भत्ता, आनुतोषिक, अन्य भत्तों, ऋण और अग्रिम और भविष्य निधि और उन सरकारी सेवकों को, जो प्रतिनियुक्ति पर हो, पेंशन और अन्य अंशदान का भुगतान ;

(2) परिषद् के [1][उपाध्यक्ष और सदस्यों] को यात्रा और अन्य भत्तों का भुगतान ;

(3) परिषद् के अधिष्ठान से सम्बन्धित अन्य प्रयोजनों या सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये ।

उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि

[2][**26–तत**– (1) परिषद् के लिये एक निधि की स्थापना की जायेंगी, जिसे उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायगी, अर्थात् ——

(क) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन समितियों से प्राप्त समस्त अंशदान उसके उतने प्रतिशत को छोडकर जितने राज्य सरकार परिषद् की निधि में जमा करने के लिये निदेश दें ।

(ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार या परिषद् निदेश दें ।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का उपयोग, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, अर्थात् : ——

(1) मण्डी क्षेत्र मे कृषकों, अन्य उत्पादकों और मण्डी शुल्क देने वालों को सुविधायें;

(2) मण्डी क्षेत्र में प्रधान मण्डी स्थल, उप मण्डी स्थल, हाट और पीठ का विकास और नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण ;

(3) मण्डी क्षेत्र में सम्यक सड़कों, मण्डी की गलियों और जन्म विकास कार्यो का निर्माण, अनुरक्षण ओर मरम्मत ;

(4) निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का मण्डी सर्वेक्षण और अनुसंधान वर्गीकरण और मानकीकरण ;

(5) प्रचार, प्रख्यापन और विस्तार सेवा और निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय की स्थिति मे सामन्य सुधार से सम्बन्धित विषय ;

(6) वित्तीय रूप से कमजोर और अल्प विकसित समितियों को ऋण और अनुदान के रूप में सहायता ;

(7) परिषद् के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये भवन या भूमि का अर्जन या निर्माण या पट्‌टे पर या अन्यथा लेना ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

(8) मण्डी क्षेत्रों का बेहतर विकास और मण्डी समितियों का नियंत्रण ;

(9) बैठक और विधिक मामलों पर व्यय ;

(10) राज्य में मण्डी समितियों के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण ;

(11) प्रधान मण्डी स्थलों और उप मण्डी स्थलों और मण्डी क्षेत्रों के विकास के लिये स्थल नक्शा ओर निर्माण प्राक्कथन तैयार करने में और महायोजना की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने मे मण्डी समितियों को तकनीकी सहायता ;

(12) परिषद् और मण्डी समितियों की आन्तरिक लेखा परीक्षा ;

(13) धारा 16, 19 और 19–ख में निर्दिष्ट ऐसे विषय जो पूर्ववर्ती खण्डों के अन्तर्गत न आते हों ;

(14) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने या निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय–विक्रय को सामान्य रूप से विनियमित करने के लिय कोई अन्य प्रयोजन ।]

केन्द्रीय मण्डी निधि

[1]**[26–ततत–** (1) एक निधि स्थापित की जायगी जिसे "केन्द्रीय मण्डी निधि" कहा जायगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायगी, अर्थात् : ––

(क) धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन परिषद् को दी गई समस्त धनराशि ;

(ख) ऐसी अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार या परिषद् निर्देश दें ।

(2) केन्द्रीय मण्डी निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जायगा, अर्थात् :––

(ख) मण्डी क्षेत्र में मण्डी स्थल, सम्पर्क सड़क, पुलिया और अन्य विकास कार्यो का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत ;

(ग) विकास कार्यो के लिए समितियों को अनुदान या ऋण ;

(घ) ऐसे अन्य प्रयोजन जैसे राज्य सरकार या परिषद् द्वारा, ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, निर्देशित किये जायें ।]

ऐसे व्यय पर निर्बन्धन जिसकी व्यवस्था पहले से बजट में न हो

26–थ– (1) उस दशा को छोड़कर, जब परिषद् की राय में अत्यावश्यक परिस्थितियां उत्पन्न हो जायं किसी वित्तीय वर्ष में कोई भी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा आवर्ती अथवा अनावर्ती व्यय के लेखे मे समय–समय पर इस निमित्त निश्चित् की गयी धनराशि से अधिक हो परिषद् द्वारा तब तक व्यय नहीं की जायगी जब तक कि ऐसी धनराशि धारा 26–फ की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरण में सम्मिलित न कर ली गई हों ।

(2) यदि अत्यावश्यक परिस्थितियों मे कोई ऐसी धनराशि व्यय की जाय तो उसके सम्बन्ध में एक रिपोर्ट जिसमे ऐसा व्यय पूरा करने के प्रस्तावित साधनों को विनिर्दिष्ट किया गया हो, राज्य सरकार को यथासाध्य शीघ्र भेजा जायगा ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1999 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

26–द– राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के यथोचित वित्तीय विनियोजन के पश्चात् समय–समय पर इस अधिनियम से प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करें, दे सकेगी । **परिषद् की वित्तीय सहायता**

26–ध– राज्य सरकार, समय–समय पर, परिषद् को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हों, जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करें, ऋण दे सकती है । **परिषद् की ऋण**

26–न– (1) परिषद्, समय–समय पर, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से और इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तो, जिन्हें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित धनराशि, या तो बन्ध–पत्र या स्टाक जारी करके अथवा अन्य प्रकार से या बैकरों से प्रबंध करके, उधार ले सकेगी । **परिषद् को उधार लेने की शक्ति**

(2) परिषद्, राज्य सरकार से प्राप्त उधारों की रकमों के अतिरिक्त किसी भी समय उपधारा (1) के अधीन कोई ऐसी रकम उधार नहीं ले सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त नियत रकम से अधिक हो ।

(3) परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन जारी किया गया स्टाक ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जायेगा अथवा उसके सम्बन्ध मे कार्यवाही की जायेगी या उसे मोचित किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे ।

26–प– परिषद् की आय का उपयोग उसके व्ययों को पूरा कर लेने के पश्चात् जहां तक उपलब्ध हो, निम्नलिखित क्रम से किया जायेगा : –– **परिषद् के दायित्वों को प्राथमिकता**

(1) बन्ध–पत्र के, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, मूलधन और उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना ;

(2) स्टाक के जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति न दी गई हो, मूलधन और उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना ;

(3) बन्ध–पत्र के, जिनकी राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गई हो, मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना ;

(4) स्टाक के जो इस प्रकार प्रत्याभूति हो, मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना ;

(5) राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति, यदि कोई हो, के अधीन दी गई धनराशियों के मूलधन तथा उनके ब्याज का प्रतिसंदाय करना ;

(6) राज्य सरकार द्वारा परिषद् को दिये गये उधार के मूलधन और उस पर ब्याज का, जिसके अन्तर्गत ब्याज की बकाया भी है, प्रतिसंदाय करना ।

26–फ– (1) परिषद्, वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों के कार्यक्रम का, यथास्थिति, एक विवरण अथवा अनुपूरक विवरण, तथा उसके सम्बन्ध मे एक वित्तीय अनुमान उस वर्ष के प्रारम्भ होने के पूर्व तैयार करेगी तथा उसके दौरान किसी समय तैयार कर सकेगी और उन्हें सरकार को ऐसी रीति से तथा ऐसी तारीख तक जैसी वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, उसके पूर्वानुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी । **लेखे और लेखा परीक्षा**

(2) परिषद् उचित लेखा बही और अपने लेखों के सम्बन्ध में अन्य बहियां रखवायेगी और वार्षिक तुलनपत्र तैयार करेगी ।

(3) परिषद् के लेखों की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षक द्वारा की जायगी, जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे और इस प्रकार नियुक्त संपरीक्षक को सभी विषयो के सम्बन्ध मे दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने और जानकारी दिये जाने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी ।

(4) संपरीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् की लेखाओं और उनके सम्बन्ध में संपरीक्षा रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य सरकार को भेजी जायगी जो उनके सम्बन्ध में परिषद् को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे और परिषद् ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

(5) राज्य सरकार ––

(क) उपधारा (4) के अधीन उसे प्राप्त परिषद् के लेखाओं, उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी ; और

(ख) परिषद् के लेखाओं को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी जैसा वह ठीक समझे।

अधिभार

26–ब–(1) परिषद् के [1][अध्यक्ष, उपाध्यक्ष] तथा अन्य सदस्य, अधिकारी और सेवक परिषद् को किसी धनराशि या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिये अधिभार के दायी होंगे यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग ऐसे अध्यक्ष, या अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में इस प्रकार कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या दुराचार का प्रत्यक्ष परिणाम हो ।

(2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाय ।

(3) कोई धनराशि, जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन में अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप पाई जाय, भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी और ऐसी धनराशि की वसूली के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद संस्थित नही किया जा सकेगा ।

(4) परिषद् को उपधारा (3) की कोई बात उसमें निर्दिष्ट धनराशि को ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अधिकारी या सेवक को पारिश्रमिक के मद में या अन्य प्रकार से परिषद् द्वारा संदेय किसी धनराशि मे से कटौती करने से नहीं रोकेगी ।

विनियम

26–भ– (1) परिषद् राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से परिषद् के कार्यकलापों के प्रशासन के लिए ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् : ––

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, 2007 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) परिषद् का अधिवेशन बुलाना और करना, समय और स्थान जहां पर ऐसे अधिवेशन किये जाने है । ऐसे अधिवेशनों में कार्य–संचालन और अधिवेशनों की गणपूर्ति के लिये व्यक्तियों की आवश्यक संख्या ;

(ख) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों की शक्ति और कर्त्तव्य ;

(ग) परिषद् के अधिकारियों तथा सेवकों और धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्ते ;

(घ) परिषद् की सम्पत्ति का प्रबंध ;

(ड़) परिषद् की ओर से संविदा और सम्पत्ति सम्बन्धी हस्तान्तरण–पत्रों का निष्पादन ;

(च) परिषद् द्वारा लेखाओं का रखना और तुलनपत्र तैयार किया जाना ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन परिषद् के कृत्यों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया ;

(ज) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियमों में उपबन्ध हो या किया जा सके ।

(3) जब तक कि परिषद् द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई ऐसे विनियम न बनाये जायें, जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाए जा सकते हों राज्य सरकार द्वारा बनाए जा सकेंगे, और इस प्रकार बनाए गए किन्हीं विनियमों में परिषद् उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकेगी या उन्हें विखण्डित कर सकेगा ।][1]

बाह्य––नियंत्रण

[27–(1) धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समिति, उसका सभापति, उपसभापति और अन्य सदस्यों, उसके सचिव और अन्य अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् में निहित होगा।][2]

(2) [3][परिषद् या निदेशक] समिति के मामलों से सम्बद्ध सभी लेख्यों या अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है वा सकता है और समिति, उसके सभापति, उपसभापति, सदस्यों, अधिकारियों या सेवकों से ऐसी सूचना या सामग्री देने की अपेक्षा कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

(3) समिति के मामलों से सम्बद्ध किसी कार्य के सम्बन्ध मे कोई शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार निदेशक से समिति, उसके सभापति, उप सभापति, सदस्य, सचिव या अधिकारी के विरूद्ध जांच करने या कार्यवाही आरम्भ करने की अपेक्षा कर सकती है,

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 18 द्वारा धारायें 26–क से 26–भ तक अन्तः स्थापित की गयी ।

2. उपर्युक्त की धारा 19 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. उपर्युक्त की धारा 19 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

और निदेशक तद्नुसार कार्य करेगा ।

(4) निदेशक को इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए वही अधिकार प्राप्त होंगे जो किसी वाद पर विचार करते समय निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित है, अर्थात् —— **1908 का नियम पाँच**

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना ;

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ; और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किये जायें ।

28– [X X X X][1]

29– [X X X X][2]

30– [X X X X][3]

समिति द्वारा पारित संकल्प या दी गयी या आज्ञा के निष्पादन या आगे निष्पादन करने का [4][परिषद्] के अधिकार

31– (1) [4][परिषद्] स्वतः या कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत प्राप्त होने पर, समिति द्वारा या उसके सभापति या किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प या दी गयी आज्ञा के निष्पादन या आगे निष्पादन का आदेश द्वारा निषेध कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि वह संकल्प या आज्ञा लोक–हित के प्रतिकूल है अथवा उससे किसी मण्डी–क्षेत्र, प्रधान मण्डी स्थल या उपमण्डी स्थल में कारोबार के दक्षतापूर्वक चलाने में बाधा पड़ने की सम्भावना है अथवा वह इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के विरूद्ध है ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा किसी संकल्प या आज्ञा का निष्पादन या आगे निष्पादन निषिद्ध किया जाये और वह आदेश प्रचलित हो तो [4][परिषद्] द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसे करने का अधिकार समिति को संकल्प न पारित किये जाने या आज्ञा न दिये जाने की दशा में होता और जो सभापति या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे संकल्प या आज्ञा के अधीन किसी काम को करने या उसके जारी रखने को रोकने के लिए आवश्यक हो ।

समिति की कार्यवाहियां मंगाने और उन पर आज्ञा देने के [4][परिषद्] के अधिकार

32– [4][परिषद्] किसी भी समय समिति द्वारा दिये गये किसी निर्णय या आज्ञा की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से समिति की कार्यवाहियां मंगा सकती है और यदि उसकी यह राय हो कि समिति का निर्णय या उसकी आज्ञा परिष्कृत या रद्द होनी चाहिये या उलटी जानी चाहिये तो [4][परिषद्] उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

[5]**[33–** परिषद् विनियमों द्वारा, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए और

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 8 द्वारा निकाला गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 29 द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 30 द्वारा निकाला गया ।
4. उपर्युक्त की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

ऐसी रीति से जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाय अपनी कोई शक्ति निदेशक को प्रतिनिहित कर सकती है ।

मण्डी समितियों के कर्त्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने की निदेशक की शक्तियां

[1]**[33–क–** (1) जहां निदेशक का, उसको की गई किसी शिकायत पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाय कि किसी मण्डी समिति में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है, वहां वह उस समिति से ऐसे कर्त्तव्य का पालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने की अपेक्षा कर सकता है ।

(2) यदि ऐसे कर्त्तव्य का पालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय तो निदेशक उसे करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, और वह निदेश दे सकता है कि ऐसे पालन में उपगत व्यय का जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति के लिये उपयुक्त पारिश्रमिक भी है, भुगतान समिति द्वारा तुरन्त किया जायेगा ।

(3) यदि ऐसे व्यय का भुगतान इस प्रकार न किया जाय तो निदेशक परिषद् से भुगतान की अपेक्षा करेगा और परिषद् इस प्रकार भुगतान की गई धनराशि को समिति से वसूल करने की हकदार होगी ।

राज्य सरकार की शक्तियां

[1]**[33–ख–** (1) राज्य सरकार, अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि परिषद् या समिति इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपीन शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का समुचित रूप से प्रयोग या निर्वहन करती है, आयुक्त या कलक्टर या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से ऐसी रीति से जैसी नियत की जाय, परिषद् या समिति की किसी सम्पत्ति, कार्यालय, दस्तावेज या किसी कार्य का निरीक्षण करने या कराने या परिषद् या समिति के सभी या किसी कार्यकलाप की जांच करने या कराने और ऐसी जांच के परिणाम की रिपोर्ट, ऐसी अवधि के भीतर जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, देने की अपेक्षा कर सकती है ।

(2) यथास्थिति परिषद् या समिति ऐसे आयुक्त या कलक्टर या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निरीक्षण के दौरान और समुचित रूप से जांच करने के लिये सभी सुविधायें देगी और, यथास्थिति ऐसे निरीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिये जब किसी ऐसे दस्तावेज या सूचना की मांग की जाय तो उसके कब्जे में हो, तब उसे प्रस्तुत करेगी ।]

निजी मण्डी स्थल के लिए लाईसेन्स प्रदान/ नवीकरण किया जाना

[2]**[33–ग–** (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 7 घ के अधीन निजी मण्डी स्थल स्थापित करना चाहता हो, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यथास्थिति ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि जो तीन वर्ष से कम न हो, जैसा कि विहित किया जाय, के लिए लाइसेंन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन करेगा ।

(2) निजी मण्डी स्थल के लिए यथास्थिति लाइसेन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन पत्र के साथ यथाविहित युक्तियुक्त लाइसेन्स शुल्क और प्रतिभूति/बैंक प्रत्याभूति संलग्न होंगे।

(3) लाइसेन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र पर निम्नलिखित शर्त (शर्तो) पर अस्वीकृत किये जाने योग्य होगा : ––

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

(क) यह कि, आवेदक अवयस्क है, जो अभिरक्षक के अधीन नही है या वास्तविक नही है ;

(ख) यह कि आवेदक उक्त अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली और उपविधियों के अधीन व्यतिक्रमी घोषित कर दिया गया है ;

(ग) यह कि मण्डी समिति और/या परिषद् और/या विभाग/कृषि विपणन निदेशालय से सम्बन्धित कोई देय आवेदक के विरूद्ध अवशिष्ट नही है ;

(घ) यह कि, सम्बन्धित प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि आवेदक किसी निजी मण्डी स्थल की स्थापना के लिए विनिधान या किन्हीं अन्य अपेक्षाओं, जैसा कि विहित किया जाय, के लिए अवसंरचना, प्रत्यय पत्र, अनुभव या पर्याप्त पूँजी धारित नहीं करता है ; और/या

(ङ) ऐसे कोई अन्य कारण, जो विहित किये जायें ।

(4) इस धारा के अधीन स्वीकृत या नवीकृत लाइसेन्स यथाविहित निबन्धन और शर्तो के अध्यधीन होगा, और लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स की यथाविहित निबन्धन और शर्तो का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा । लाइसेंन्सधारी को इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का भी अनुपालन करना होगा ।]

धारा 33–ग के अधीन स्वीकृत/नवीकृत लाइसेन्स का निलम्बन या रद्दीकरण

[1] **[33–घ–** (1) धारा 33–ग के उपबन्धों के अध्यधीन, लाइसेंन्स प्राधिकारी, यथास्थिति, लाइसेन्स को निलम्बित कर सकता है अथवा लाइसेन्सधारक को लिखित रूप में संसूचित किये जाने वाले कारणों से और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करके उसे रद्द कर सकता है, यदि ;

(क) लाइसेन्स जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट के माध्यम से प्राप्त किया गया हो; और/या

(ख) लाइसेंन्सधारक या उसका प्रतिनिधि या उसकी ओर से उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति किसी नियमावली, विनियमावली और लाइसेन्स के निबन्धन या शर्तो का उल्लंघन करता है ; और/या

(ग) लाइसेन्सधारक स्वयं या अन्य लाइसेन्सधारक के साथ मिलकर अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन में जानबूझकर व्यवधान डालने, उसे निलम्बित रखने या रोकने के आशय से मण्डी क्षेत्र में कोई कार्य कारित करता है या अपने सामान्य कारबार करने से प्रविरत रहता है ; और/या

(घ) लाइसेन्सधारक दिवालिया हो गया हो ; और/या

(ङ) लाइसेंन्सधारक ऐसी कोई अनर्हता उपगत करता है, जैसा कि विहित किया जाय ; और/या

(च) लाइसेन्सधारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष हो ।

(2) कोई लाइसेन्स, इस धारा के अधीन उसके धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना रद्द नही किया जायेगा।

(3) धारा 33–घ के उपबन्धों के अध्यधीन, लाइसेन्स प्राधिकारी आख्यापक आदेश

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

द्वारा लाइसेन्सधारक को धारा 33–ग के अधीन प्रदान किये गये या नवीकृत किये गये उसके लाइसेन्स को रद्द करने के लिए संसूचित करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्स प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति राज्य सरकार को यथाविहित रीति से अपील कर सकता है ।]

सीधे विपणन के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाना/ उसका नवीकरण किया जाना

[1]**[33–ङ–** (1) धारा 7–ख के अधीन कृषक सहकारी, कृषक–उत्पादक संगठन और प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता सहित कोई व्यक्ति प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, मण्डी उप–स्थल, निजी मण्डी स्थल के बाहर सीधे कृषकों से कृषि उत्पाद क्रय करना चाहता हो तो वह निदेशक, कृषि विपणन को यथास्थिति लाइसेंस प्रदान किये जाने अथवा उसका नवीकरण किये जाने के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भी लिए, जैसा कि विहित किया जाय, आवेदन करेगा ।

(2) सीधे विपणन के लिए आवेदन पत्र के साथ ऐसा युक्तियुक्त लाइसेंस शुल्क और प्रतिभूति/बैंक प्रत्याभूति जैसाकि विहित किया जाय, संलग्न किया जायेगा ।

(3) लाइसेंस प्रदान किये जाने अथवा उसका नवीकरण किये जाने के लिए धारा 33–ड़ के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र, धारा 33–ग (3) में यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तर्विष्ट कारण और रीति से स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है ।

(4) इस धारा के अधीन प्रदान किया गया या नवीकृत किया गया कोई सीधा विपणन लाइसेंस ऐसे निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन होगा, जैसाकि विहित किया जाय, और लाइसेंसधारी के लिए यथाविहित निबन्धन एवं शर्तों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा । लाइसेंसधारी को इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का भी अनुपालन करना होगा ।]

सीधे विपणन लाइसेंस का निलम्बन या रद्दकरण किया जाना

[2]**[33–च–** धारा 7–ख के अध्यधीन, लाइसेंस प्राधिकारी, जिसने लाइसेंस जारी किया हो, धारा घ में यथावश्यक परिवर्तन सहित कारण और रीति से धारा 33–ड़ के अधीन प्रदान किये गये/नवीकृत किये गये लाइसेंसो को निलम्बित या रद्द कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंस प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति राज्य सरकार को यथाविहित रीति से अपील कर सकता है ।]

अध्याय – 6
विविध

समिति के विरूद्ध वाद

34–(1) किसी समिति, उसके सभापति, उप सभापति, या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरूद्ध उसके द्वारा अपने आधिकारिक रूप में किये गये या किए जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में तब तक कोई वाद प्रस्तुत न किया जायगा जब तक एक लिखित नोटिस के, जिसने वाद–कारण और वादी का नाम तथा निवास–स्थान और प्रार्थित अनुतोष का उल्लेख हो, तामील किये जाने के दिनांक से दो माह न व्यतीत हो गये हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस ––

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया।

(1) यदि वह समिति के लिये हो तो काम के किसी भी दिन उसके कार्यालय में दिया जायगा या उसके सभापति, उपसभापति अथवा सचिव को दे दिया जायगा अथवा रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायगा ; और

(2) प्रत्येक अन्य दशा में सम्बद्ध व्यक्ति को दिया जायगा या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायगा ।

(3) उपधारा (1) मे उल्लिखित कोई वाद वाद–कारण उत्पन्न होने के छः महीने के पश्चात् प्रारम्भ न किया जायगा जब तक वह अचल सम्पत्ति की प्राप्ति या उसके आगम की घोषणा के लिये न हो ।

(4) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे वाद पर प्रवृत्त होती है जिसमें प्रार्थित अनुतोष केवल व्यादेश (Injunciton) हो जिसका उद्देश्य नोटिस दिये जाने से या वाद अथवा कार्यवाही का प्रारम्भ स्थगित किये जाने से विफल हो जायगा।

मालगुजारी के रूप में देयों की वसूली

[1] **[35**–परिषद् या किसी समिति द्वारा राज्य सरकार को, या किसी समिति द्वारा परिषद् को, या किसी समिति द्वारा किसी अन्य समिति को, देय कोई भी धनराशि मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल की जा सकती है ।]

प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण करने का अधिकार

[2] **[36**–(1) मंडी समिति का सचिव या राज्य सरकार या परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी,––

(क) इस अधिनियम के अधीन मंडी समिति को आरोपित किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी उचित समय पर कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय से सम्बन्धित सभी लेखा–बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है और किसी ऐसी दुकान, गोदाम, कारखाना या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है और किसी ऐसी दुकान, गोदाम, कारखाना या अन्य स्थान में प्रवेश कर सकता है जहां पर ऐसी लेखा–बही या रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या ऐसा माल रखा जाता हो और ऐसी लेखाबही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों से ऐसी प्रतिलिपियां या उद्धरण जो आवश्यक समझे जायें, ले सकता है या लिवा सकता है ;

(ख) किसी लेखा–बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज का, कारणों को अभिलिखित करते हुए अभिग्रहण कर सकता है और ऐसी लेखाबही, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज की तालिका को तैयार कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी तालिका की एक प्रति ऐसी लेखाबही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज के प्रभारी व्यक्ति को दी जायगी ;

(ग) किसी ऐसे कृषि उत्पादन को अभिगृहीत कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है ;

(घ) किसी ऐसी गाड़ी या पशु को अभिग्रहीत कर सकता है जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह ऐसे कृषि उत्पादन को ले जाने के लिए प्रयोग में है या प्रयोग में रहा है और उसे उतने समय तक निरूद्ध कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या अभियोजन के सम्बन्ध में आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कृषि उत्पादन, गाड़ी या पशु को अभिगृहीत करने वाला व्यक्ति अभिग्रहण की रिपोर्ट तुरन्त उस मजिस्ट्रेट को देगा जिसका इस अधिनियम के अधीन

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 16 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अपराध पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457, 458 और 459 के उपबन्ध, यथाशक्य, उपर्युक्त अभिगृहीत कृषि उत्पादन, गाड़ी या पशु के सम्बन्ध मे उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत सम्पत्ति पर लागू होते है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कृषि उत्पादन, गाड़ी या पशु को अभिगृहीत करने के आधार की संसूचना उस व्यक्ति को जिसके पास से वह अभिगृहीत किया गया हो और उस मजिस्ट्रेट को, जिसका इस अधिनियम के अधीन अपराधों पर विचारण करने का क्षेत्राधिकार हो, अभिग्रहण किये जाने के चौबीस घंटे के भीतर लिखित रूप में दी जायगी ।

(2) तलाशी लेने और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबन्ध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन की गई तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे।][1]

शास्ति

[2][**37**– (1) कोई व्यक्ति जो धारा 9 या धारा 10 के या उसके अधीन बनाये गए नियमों, या उपविधियों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध दोष होने पर,——

(क) प्रथम अपराध के लिए जुर्माना से जो [3][पचास हजार रूपये] तक हो सकता है;

(ख) उसी प्रकार के द्वितीय और किसी अनुवर्ती अपराध के लिए कारावास के दण्ड से जो एक वर्ष तक हो सकता है, या जुर्माना से जो [4][एक लाख रूपये] तक हो सकता है या दोनो से और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में अग्रतर जुर्माना से जो दूसरी दोषसिद्धि या किसी अनुवर्ती दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहे [4][दस हजार रूपये] तक हो सकता है; दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई विशेष और पर्याप्त प्रतिकूल कारण ; जो न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित किया जायगा, न हो तो प्रथम अपराध के लिए जुर्माना [5][दो हजार पाँच सौ रूपये] से कम और द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए [4][पाँच हजार रूपये] से कम न होगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के किसी उपबन्धों का, धारा 9 और 10 और इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबन्धों को छोड़कर, उल्लंघन करता है तो वह जुर्माना से जो [6][बीस हजार रूपये] तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में प्रथम बार सिद्ध दोष होने के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहे [6][दो हजार रूपये] के अग्रतर जुर्माना से दण्डनीय होगा ।

(3) जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के दिए दोष सिद्ध किया जाय तब मजिस्ट्रेट किसी जुर्माना के अतिरिक्त, जो आरोपित किया जाय

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1977 की धारा 17 प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1999 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2016 की धारा 4(क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2016 की धारा 4(क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2016 की धारा 4(क)(तीन) परन्तुक द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03, 2016 की धारा 4(ख) (तीन) द्वारा प्रतिस्थापित ।

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अधीन उसके द्वारा देय फीस की धनराशि या अन्य कोई धनराशि सरसरी तौर पर वसूल करेगा और मण्डी समिति को भुगतान करेगा और स्वविवेकानुसार अभियोजन का व्यय भी सरसरी तौर से वसूल कर सकता है और मण्डी समिति को भुगतान कर सकता है ।]

अपराध का शमन

[1][**37–क–**[2][(1) कोई मण्डी समिति या उसकी उपसमिति या समिति के किसी संकल्प द्वारा प्राप्त प्राधिकार से उसका सभापति किसी व्यक्ति से जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो या जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध करने का युक्ति युक्त सन्देह हो जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, उससे प्राप्त फीस या अन्य धनराशि के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 66 के उपनियम (1) के परन्तुक में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार समतुल्य कृषि उत्पाद पर निर्धारित देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के योग के दस गुना धनराशि के बराबर अथवा रूपये दो लाख जो भी कम हो, एवं अन्य अपराध के लिए [3][बीस हजार रूपये] से अनधिक धनराशि शमन फीस के रूप में स्वीकार कर सकता है तथा अपराध का शमन कर सकता है ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किये जाने पर ऐसे अपराध से सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी न जारी रखी जायेगी और यदि उस अपराध के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही पहले से ही संस्थित की गई हो तो उक्त शमन के प्रभाव से, वह दोष–मुक्त हो जायगा ।]

अपराधों पर विचार

38–(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर ऐसे न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जायगा जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो।

(2) जब तक निदेशक या सचिव या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे समिति ने तदर्थ संकल्प पारित करके प्राधिकृत किया हो, परिवाद प्रस्तुत न किया जाय, तब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न करेगा ।

उपविधियां

39–(1) मण्डी समिति, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से असंगत न होते हुए निम्नलिखित की व्यवस्था के लिये उपविधियाँ बना सकती है : ––

(1) अपने कार्यों का विनियमन ;

(2) धारा 17 के खण्ड (7) के अधीन नियुक्त की जाने वाली उप समिति, यदि कोई हो, की नियुक्ति, उसके अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य ;

(3) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों, तोलकों और पल्लेदारों के कर्त्तव्यों ;

(4) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपविधियों द्वारा की जानी अपेक्षित हो ;

[4][प्रतिबन्ध यह है कि उस उपविधि से, जो [5][परिषद्] द्वारा सुझाई गई प्रारूप या प्रतिमान उपविधि को अंगीकार करके बनाई गई हो, भिन्न कोई उपविधि तब तक वैध

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 1977 की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 2018 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1999 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1970 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव से प्रतिस्थापित समझी जाय ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।

न होगी जब तक कि वह [1][परिषद्] द्वारा अनुमोदित न कर दी जाय ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में, समिति ने कोई उपविधियां नही बनायी हैं अथवा यदि समिति द्वारा बनायी गयी उपविधियां, [1][परिषद्] की राय में पर्याप्त नहीं है तो [1][परिषद्] उपविधियां बना सकता है जिसमें ऐसे विषयों की उस प्रकम तब व्यवस्था होगी जो वह उचित समझे ।

[2][(3) इस धारा के अधीन उपविधियां बनाने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए किया जायगा ।]

क्रय और विक्रय का विवरण प्रस्तुत करना

[3][**39–क**–प्रत्येक थोक व्यापारी या आढ़तिया प्रत्येक वर्ष तीस अप्रैल के पूर्व मण्डी समिति की पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके द्वारा या उसके माध्यम से किये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय और विक्रय का विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अन्य विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए जैसी कि उपविधियों में निर्दिष्ट की जायें, प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजन के लिए "पूर्ववर्ती वर्ष" का तात्पर्य ऐसे वित्तीय वर्ष से है जो उस वर्ष के, ठीक पूर्ववर्ती हो, जिसमें ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो ।]

नियम

40– [4][(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।]

(2) विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है : ——

(1) [5][* * * *]

[6][(2) धारा 13 के अधीन समिति के संगठन के लिए या राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्देश द्वारा धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन परिष्कृत और नवनिर्मित मण्डी क्षेत्र के लिए और उनके पारिवारिक मामलों के लिए व्यवस्था।]

(3) [7][* * * *]

(4) समिति की बैठकों से सम्बद्ध प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति भी है ;

(5) यात्रा–भत्ता तथा अन्य भत्ते जो किसी समिति के सदस्यों को दिये जाये ;

(6) समिति तथा उसके सभापति, सदस्य, अधिकारियों और सेवकों के कृत्यों, अधिकारों और कर्त्तव्यों से सम्बद्ध मामले ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1979 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 1999 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1984 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 9(क) द्वारा निकाला गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 9(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 9(ग) द्वारा निकाला गया ।

(7) लाइसेंस शुल्क और मण्डी–शुल्क, जो समिति द्वारा लगाये तथा वसूल किये जा सकते हैं और उनकी वसूली की रीति ;

(8) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसो के जारी किये जाने और उनके नवीकरण की शर्तें ;

(9) इस अधिनियम के अधीन मतभेदों ओर विवादों को निपटाने के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(10) रीति, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा किये जाने वाले निर्माण–कार्य के लिये नक्शे और प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे तथा स्वीकृति या अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे ;

(11) समिति द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा पुस्तिकाएं ;

(12) प्रपत्र जिसमें समिति के लेखे रखे जायेंगे, रीति जिसके अनुसार उनकी लेखा–परीक्षा की जायगी, और वह समय अथवा वे समय जब वे प्रकाशित किये जायेंगे ;

(13) किसी समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदनों और विवरणियों के प्रपत्र तथा उनमें उल्लिखित किये जाने वाले ब्यौरे ;

(14) समिति को अधिशेष निधियों के विनियोजन (Investment) और उनका निस्तारण करने की रीति ;

[1][(14–क) उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि में जमा करने, उससे निकालने और उसके अनुरक्षण और उपयोग की रीति ;]

(15) मण्डी–क्षेत्र मे प्रयोग किये जाने वाले बांट तथा माप और तौलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय ;

(16) व्यापारिक परिव्यय, जो प्रधान मण्डी–स्थलों या उप–मण्डी–स्थलों में निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के किसी सौदे में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे ;

(17) निर्दिष्ट–कृषि–उत्पादन का वर्गीकरण और नाम–स्थापन ;

(18) व्यापारियों द्वारा निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन की मूल्य–सूची रखना ;

(19) रीति, जिसके अनुसार मण्डी–क्षेत्र मे निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन की बिक्री या उसका निलाम किया जायगा और बोलियां लगायी जायेंगी तथा उन्हें स्वीकार किया जायगा;

(20) शर्तें, जिनके अधीन समिति किसी सम्पत्ति को पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है या अन्य रूप से उसका हस्तान्तरण कर सकती है ;

(21) समिति की आरे से संविदा करने के लिये प्राधिकार और उसे करने की रीति;

(22) समिति के अधिकारियों और सेवकों के नियोजन की शर्तें और ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों के अनुशासन, नियंत्रण, दण्ड, पदच्युति, सेवोन्मुक्ति तथा हटाये जाने से सम्बद्ध विषय ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, 1991 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया ।

(23) इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने और उनका निस्तारण करने की प्रक्रिया ;

(24) दलालों, आढ़तियों या व्यापारियों द्वारा कृषकों को दी जाने वाली अग्रिम राशियों का, यदि कोई हों, विनियमन ;

(25) विवाचन और अपीलों का शुल्क ;

(26) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों और तोलकों द्वारा लेखा–पुस्तिकाओं का रखा जाना, उनका प्रस्तुत किया जाना तथा निरीक्षण ;

(27) नमूना बनाने, विक्रय, क्रय, तुलाई और सौदों को अभिलिखित करने के समय, स्थान तथा रीति और भुगतान करने का ढंग ;

(28) मण्डी–क्षेत्र में लाये गये किसी निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन का संग्रह करने के लिए स्थान की व्यवस्था ;

(29) वार्षिक बजट तैयार करने और अनुमोदन के लिये उसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ;

(30) समितियों के कृत्य सम्पादन का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय ;

(31) दलालों का निर्दिष्ट कृषि–उत्पादन के सम्बन्ध में क्रेता और विक्रेता दोनों की ओर से किसी सौदे में काम करने का निषेध करना ; [1][X X X]

(31–क) [2][* * * *]

(31–ख) धारा 23–क के अधीन केन्द्रीकृत सेवा का संघटन ;

(31–ग) धारा 25–ब के अधीन अधिकार के संबंध में प्रक्रिया ;][3]

(32) कोई अन्य विषय, जो नियत किया जाना हो या नियत किया जा सकता हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समस्त, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसी परिष्कार या संशोधन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 27 द्वारा लोप किया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 2004 की धारा 9(घ) द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम सं0 13, 1973 की धारा 27 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया ।

अनुसूची[1]

[धारा 2 (क) और 4—क]

क—कृषि —

1—अन्न —

1— गेहूं	2— जौ
3— धान	4— चावल
5— ज्वार	6— बाजरा
7— मक्का	8— बेझर
9— मंडवा	10— जई
11— काकुन	12— कोदों
13— कुटकी	14— सावां

2—द्वि—दलीय उत्पाद —

1— चना	2— मटर
3— अरहर	4— उरद
5— मूंग	6— मसूर
7— लोबिया (बीज)	8— सोयाबीन
9— खेसारी	10— सनई (बीज)
11— ढैंचा (बीज)	12— ग्वार
13— मोठ	14— कुलथी

3—तिलहन —

1— सभी प्रकार की सरसों तथा लाही, (जिसमें राई, दुवा, तारामीरा और तोरिया सम्मिलित है ।)	2— सेहुंवा (बीज)
3— अलसी	4— अण्डी
5— मूंगफली	6— तिल
7— महुआ की गुठली	8— गुल्लू
9— बिनौला	10— बर्र अथवा कुसुम (बीज)

4—रेशे —

1— जूट	2— सनई का रेशा
3— रूई (ओटी हुई और बिना ओटी)	4— पटसन
5— ढेंचा	6— रामबांस
7— मेस्टा	

1. उ0 प्र0 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973 की धारा 27 पुनः अधिनियमित अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुनःस्थापित।

5—स्वापक —

1— तम्बाकू

6—मसाले —

1— धनियाँ	2— पकी मिर्च
3— मेंथी (बीज)	4— सोंठ
5— सौंफ	6— हल्दी
7— खटाई, अमचूर	8— जीरा

7—घास तथा चारा —

1— सभी प्रकार की घास तथा चारा (हरा तथा सूखा हुआ)	2— भूसा

8—विविध —

1— चौलाई (बीज)	2— पोस्ता
3— रामदाना	4— अखरोट
5— बान	6— निमकौली
7— सेलेरो का बीज	8— अम्ब्रि बीज
9— महवा का फूल (सूखा)	10— चिरौंजी
11— बरसीम (बीज)	12— लयूसर्न (बीज)
13— मखाना	14— गन्ना
15— मेस्टा बीज	

ख—उद्यान—कर्म —

I—शाक —

1— आलू	2— प्याज
3— लहसन	4— शकरकन्द
5— अरवी	6— अदरक (हरी)
7— कचालू	8— मिर्च
9— टमाटर	10—बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी
11— गाजर	12— मूली
13— बैंगन	14— टिन्डा
15— लौकी	16— हरी मटर
17— शलजम	18— परवल
19— सेम	20— साग (सब प्रकार के)

21— पान
22— चुकन्दर
23— रतालू
24— जिमीकन्द
25— सलाद
26— सोया
27— कटहल
28— ककड़ी—खीरा
29— चिचिण्डा
30— करेला
31— तरोई
32— पेठा
33— भिन्डी
34— कद्दू
35— ग्वार
36— इमली
37— बण्डा
38— सिंघाड़ा
39— लोबिया (हरी)

2—फल —

1— नींबू
2— नारंगी
3— मुसम्बी
4— माल्टा
5— ग्रेप फ्रूट
6— केला
7— अनार
8— स्ट्रावेरी
9— खरबूजा
10— तरबूज
11— फूट
12— पपीता
13— फालसा
14— पोस्ता
15— सेब
16— अमरूद
17— बेर
18— आंवला
19— लीची
20— चिकू
21— आडू
22— लोकाट
23— बेल
24— अनन्नास
25— आम
26— आलू—बुखारा
27— अंजीर
28— कटहल (पका)
29— कमरख
30— करोंदा
31— खजूर
32— खिरनी
33— खुबानी
34— जामुन
35— नाशपाली व नाख
36— शरीफा
37— शहतूत
38— चकोतरा
39— रसभरी

ग—द्राक्षा कृषि —

1— अंगूर

घ—मधु—मक्खी पालन —

1— शहद	2— मोम

ङ—कोशकीट पालन —

1— रेशम

च—मत्स्य संवर्धन —

1— मछली

छ—पशुपालन—उत्पाद —

1— कुक्कुट	2— अण्डा
3— पशु	4— भेड़
5— बकरी	6— मक्खन
7— घी	8— खोया
9— पनीर	10— दूध
11— चमड़ा और खाल	12— हड्डी
13— गोश्त	14— सुअर की बाल
15— ऊन	

ज— वन उत्पाद —

1— गोंद	2— लकड़ी
3— तेन्दू की पत्ती	4— लाख
5— रीठा	6— कत्था